फाइल सं. 6-4/07-ओएस/टीएमओपी

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 6 सितम्बर, 2007

विषय : 11वीं योजना के दौरान आईसोपोम में संशोधन करने की अनुमति के संबंध में

सरकार ने 11वीं योजनावधि के लिए निम्नलिखित के संबंध में तिलहन, दलहनों, पाम ऑयल और मक्की की एकीकृत योजना (आईसोपोम) में संशोधन करने की अनुमति दे दी है:

(1) सहायता के मानक और पद्धति

(2) नए घटकों को शामिल करना

(3) कार्यान्वयन एजेंसी

ब्यौरा पत्र के परिशिष्ट में दिया गया है। सहायता के मानदंड और पद्धति शेष घटकों के लिए अपरिवर्तित रहेंगे।

उपर्युक्त संशोधन 21 अगस्त, 2007 से प्रभावी होंगे।

हस्ताक्षर

(पी.के. शर्मा)

निदेशक (टीएमओपी)

संलग्न : क, क,

सचिव, आईसीएआर,

कुलपति, राज्य कृषि विश्वविद्यालय

महाप्रबंधक, नेफेड

महाप्रबंधक, एनएससी/एसएफसीआई

महाप्रबंधक, कृभको/इफको

निदेशक, व्यापारिक और देश संबंध, आईसीआरआईएसएटी, नई दिल्ली

निदेशक, आईआईपीआर, कानपुर

मुख्य सचिव/आयुक्त/निदेशक, सभी आईसोपोम कार्यान्वयन राज्य

निजी बीज उद्योग/संगठन

निदेशक, डीओडी, हैदराबाद/डीपीडी, भोपाल

परिशिष्ट

क: 11वीं योजना के लिए आईसोपोम में अनुमोदित परिवर्तन

क्र.सं.	अवयव	विद्यमान प्रावधान	अनुमोदित परिवर्तन
1.	आईसीएआर द्वारा शोध संक्षिप्त	आईसोपोम के तहत बीज अवयव के लिए बीज आवंटन का 5 प्रतिशत विशेषकर मूंगफली, सोयाबीन, रेपसीड और सरसों जैसे तिलहनों और दलहनों की सूखा रोधक किस्मों के विकास के लिए संक्षिप्त शोध के लिए आईसीएआर को आवंटित की जाएगी। इन फसलों की खेती में बाधा डालने वाली नई विशिष्ट समस्याओं का तत्काल निदान राज्यों द्वारा सुझाया जा सकता है जिन्हें आईसीएआर, भारत सरकार के अनुमोदन से इस अवयव के अंतर्गत अध्ययन के लिए ले सकती है।	जरूरत आधारित संक्षिप्त शोध के लिए राष्ट्रीय (आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों इत्यादि) और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों (आईसीआरआईएसएटी को प्रत्यक्ष निधि आवंटन)
2.	तिलहनों, दालों और मक्की के मूल प्रमाणित बीजों का उत्पादन	एसडीए द्वारा एसएससी/ऑयलफेड, एनएससी, एसएफसीआई और कृभकों के माध्यम से प्रजनन बीज को मूल और प्रमाणित बीजों के रूप में बढ़ाने के लिए @ 500/- रुपये प्रति क्विंटल की सहायता दी जाती है।	सहायता राशि को बढ़ाकर 1000/- रुपये प्रति क्विंटल करना। कॉलम 2 में सूचीबद्ध संगठनों के अलावा नेफेड और इफको का सहायता के लिए पात्र होना।
3.	तिलहनों, दलहनों और मक्की के प्रमाणित बीजों का वितरण	(i) सभी फसलों के प्रमाणित बीज की लागत का 30 प्रतिशत या 800/- प्रति क्विंटल, जो भी कम हो। (ii) सभी फसलों के लेबलशुदा बीज की लागत का 25 प्रतिशत या 600/- प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।	(i) सभी फसलों के प्रमाणित बीज की लागत का 50 प्रतिशत या 800/- प्रति क्विंटल, जो भी कम हो। (ii) सभी फसलों के लेबलशुदा बीज की लागत का 25 प्रतिशत या 600/- प्रति क्विंटल, जो भी कम हो। (iii) नेफेड, कृभको और इफ्को वितरण सहायता के लिए पात्र होंगे। (iv) निजी क्षेत्र के बीच उत्पादक एजेंसियां इस सहायता के

			लिए पात्र होंगी बशर्ते कि बीज प्रमाणित किए गए हैं और वितरण राज्य सरकारों के माध्यम से शुरू किया गया है।
4.	छोटी किटों का (उपजातीय विविधीकरण) वितरण	तिलहनों, दालों और मक्की की फसलों की नए उन्नत किस्म/संकरी किस्मों के बीच किटों की एनएससी/एसएफसीआई द्वारा राज्य कृषि विभाग (एसडीए) के माध्यम से किसानों को आपूर्ति	एनएससी और एसएफसीआई के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों जैसे नेफेड, कृभकों और इफको को बीज के छोटे किटों की आपूर्ति करने के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में शामिल किया जाए। बीज के छोटे किट घटक के अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाली किस्मों/संकर बीज के छोटे किटों के वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी इस शर्त के अध्यधीन की जाए जो सरकार उपजातीय/संकर बीज के प्रकार, प्रमाणीकरण और कीमत जिस पर आपूर्ति की जानी है, के संबंध में विहित करे। इससे नई और उच्च उत्पादकता वाली किस्मों/संकर किस्मों के प्रचलन को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बीच तालमेल बैठेगा। निजी क्षेत्र द्वारा बीजों के छोटे किटों की आपूर्ति सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी।
5.	जिपसम/पाइराइट/ लाइमिंग/ डोलोमाइट का वितरण	सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत और 500/- रुपये प्रति हे. तक परिवहन भाड़ा, जो भी कम हो। तथापि, महाराष्ट्र के लिए 750 रुपये प्रति हे. है, जो भी कम हो।	सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत सहायता में वृद्धि और 750 प्रति हे. तक परिवहन प्रभार, जो भी कम हो।
6.	रिजोबियम	खेती का 50 प्रतिशत लागत या 50/-	खेती (रिजोबियम खेती/

	खेती/ फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया की आपूर्ति	रुपये प्रति हे. जो भी कम हो।	फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया की एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम खेती) की लागत का 50 प्रतिशत तक वृद्धि या प्रति हे. 100/- रुपये जो भी कम हो।
7.	मूंगफली में पोलीथीन पलवाल प्रौद्योगिकी के ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन	7000/- रुपये अर्थात् (4000/- रुपये और 3000/- रुपये प्रति हे.)	सहायता में वृद्धि 8000/- रुपये प्रति हे. अर्थात् (साधनों की आपूर्ति के लिए 4000/- रुपये और पोलीथीन शीट प्रति हे. के लिए 4000/- रुपये)
8.	मूंगफली प्रौद्योगिकी में पोलीथीन पलवाल का फ्रंटलाइन प्रदर्शन	प्रदर्शन की वास्तविक लागत 8000/- रुपये प्रति हे. तक सीमित (5000/- रुपये + 3000/-) रुपये प्रति हे.	प्रदर्शन के लिए वास्तविक लागत संबंधी सहायता को 9000/- रुपये प्रति हे. (5000 रुपये + 4000/-) प्रति हे. तक बढ़ाना पोलीथीन की लागत में वृद्धि को देखते हुए पोलीथीन छाद के लिए सहायता की दर को 3000/- से बढ़ाकर 4000/- रुपये प्रति हे. करने का प्रस्ताव है।
9.	फव्वारे का सेटों का वितरण	महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और मझोले किसानों के लिए @50 प्रतिशत लागत या 15,000/- रुपये और अन्य किसानों के लिए लागत का 33 प्रतिशत या प्रति सेट 10000/-रुपये जो भी कम हो।	डीएसी की लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत अनुमेय दरों पर सहयता (फव्वारे की लागत का 50 प्रतिशत जो 7500/- हे. तक सीमित होगा।)
10.	खेत में स्रोत से पानी ले जाने के लिए पाइप	महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और मझौले किसानों के लिए लागत का @50 प्रतिशत रुपये और अन्य किसानों के लिए लागत का 33 प्रतिशत या 10,000/- रुपये, 210 मीटर लंबे पाइपों के लिए (आईएस-	सहायता में 50 प्रतिशत लागत की वृद्धि या 15,000/- रुपये जल ले जाने वाले 800 मीटर तक के पाइपों के लिए और सभी प्रकार के पाइपों अर्थात् एचडीपीई इत्यादि और किसान

		12786-1989 के आईएस-14151-1 (1994) एचडीपीई पाइप) के 75 मिमी व्यास के प्रत्येक 6 मीटर की 35 यूनिट कार्यान्वयन राज्यों के माध्यम से	की जरूरत के सभी आकार के पाइपों के लिए
11.	अवसंरचना विकास	सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए और तिलहनों, दलहनों और मक्की के बीजों के लिए एसडीए तथा एनएससी एवं एसएफसीआई के बीच फार्म के खलिहान भण्डार गोदाम	कालम 2 में सूचीबद्ध संगठनों के अलावा कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों में, जहां फार्म सुविधाएं मौजूद हैं, अवसंरचना विकास के लिए सहायता। उच्च उत्पादकता किस्मों के बीजों/दाल के संकर बीजों के उत्पादन के लिए आईआईपीआर कानपुर को इसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसंरचना विकास हेतु सहायता
ख. ग्यारहवीं योजना के लिए आईसोपोम के अंतर्गत नए अनुमोदित अवयव			
1.	उन्नत फार्म अवयव की आपूर्ति	हाथ से/बैलगाड़ी द्वारा आहरण लागत का @50 प्रतिशत या 25,000/- प्रति कार्यान्वयन सहायता और प्रति विद्युत से कार्यान्वयन के लिए @ 50 प्रतिशत लागत या 15,000 रुपये जो भी कम हो।	
2.	कमी वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषकों की आपूर्ति	@ 50 प्रतिशत लागत या 500 प्रति हे., जो भी कम हो, की सहायता।	

तिलहनों, दलहनो, पॉम ऑयल और मक्की की एकीकृत योजना (आईसोपोम)

दसवीं योजना के दौरान आईसोपोम के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश

(2004-05 से प्रभावी)

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
कृषि और सहकारिता विभाग
[**तिलहनों, दलहनो, और मक्की संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमओपीएंडएम)**]

(मोतीलाल)
अनुभाग अधिकारी,
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि और सहकारिता विभाग
कृषि भवन,
नई दिल्ली – 110001

आर.एस. पांडे
अपर सचिव

प्राक्कलन

तिलहन, दलहन और मक्की विकास कार्यक्रम पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नए सिरे से जोर दिया जा रहा है। इन फसलों पर विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्यों को अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने और इन कार्यक्रमो पर केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, त्वरित मक्की विकास कार्यक्रम और पॉम ऑयल विकास कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है और 10वीं योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित "तिलहन, दलहन, पॉम ऑयल और मक्की की एकीकृत योजना (आईसोपोम) में मिला दिया गया है। आईसोपोम में कुछ नई विशेषताएं हैं जैसे सूखा रोधक किस्मों के विकास के लिए संक्षिप्त शोध, राज्य वार्षिक कार्य योजना के आधार पर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, निधियों के अंतर-घटक विपथन

के लिए राज्यों को स्वतंत्रता और नवीन कार्यों की शुरूआत, कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी इत्यादि।

कृषि और सहकारिता विभाग ने देश में तिलहनों, दलहनों, मक्की और पॉम ऑयल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से आईसोपोम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश बनाए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दिशा-निर्देश राज्य सरकारों को इन फसलों के उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु और देश को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में अपने वार्षिक उत्पादन कार्यक्रमों को तैयार करने में काफी मददगार सिद्ध होंगे।

(आर. एस. पांडे)

अपर सचिव

विषय-वस्तु

पृष्ठ स.

1. **पृष्ठभूमि**
   - 1.1 तिलहन
   - 1.2 दलहन
   - 1.3 मक्का
   - 1.4 पाम ऑयल
2. **तिलहन, दलहन, मक्की और पॉम ऑयल संबंधी एकीकृत योजना**
   - 2.1 आईसोपोम की विशिष्ट विशेषताएं
   - 2.2 आईसोपोम के अंतर्गत शामिल राज्य और फसलें
   - 2.3 तिलहन, दलहन और मक्का के लिए साधन आपूर्ति और सहायता सेवाएं
   - 2.4 पाम तेल के लिए साधन आपूर्ति और सहायता सेवाएं
   - 2.5 कार्यान्वयन एजेंसियां
   - 2.6 आईसोपोम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की पद्धति
   - 2.7 उत्पादन लक्ष्य और दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय
   - 2.8 तिलहन, दलहन एवं मक्का के लिए घटक वार कार्यात्मक दिशानिर्देश
   - 2.9 अन्य घटक
   - 2.10 पाम ऑयल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश
   - 2.11 आईसोपोम के तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति संबंधी उप योजना
   - 2.12 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुबंध अनुसंधान
3. **वार्षिक राज्य कार्य योजनाएं**
4. **बीज उत्पादन और बीज वितरण के लिए दिशा निर्देश**

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-1I

परिशिष्ट-1II

तिलहन, दलहन, पॉम ऑयल और मक्की की एकीकृत योजना (आईसोपोम)

दसवीं योजना के दौरान आईसोपोम के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश

(2004-05 से प्रभावी)

1. पृष्ठभूमि

तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमओ) तिलहन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहन की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से मई, 1986 में शुरू किया गया था। बाद में 1990, 1992-93 और 1995-96 में क्रमश: दालों, पॉम ऑयल और मक्की को भी इस प्रौद्योगिकी मिशन के दायरे में लाया गया।

1.1 तिलहन

कृषि उत्पादन और देश की अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न के बाद तिलहनों का स्थान आता है। देश में अधिकतर तिलहन और वनस्पति बीज उत्पादन नौ वार्षिक तिलहन फसलों अर्थात् मूंगफली, सोयाबीन, रैपसीड और सरसों, सूरजमुखी, तिल, करडी, रामतिल, अरंडी और अलसी से प्राप्त होता है।

उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विकास से लेकर फसल संरक्षण, फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण, मूल्य समर्थन और विपणन तक मिशन की एकीकृत कार्यनीति को चार लघु मिशनों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया जिससे तिलहनों में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। नौ तिलहनों के उत्पादन को 1985-86 में 109.3 लाख टन के स्तर से बढ़ाकर वर्ष 1998-99 तक लगभग दुगुना 247.5 लाख टन किया गया। यह न केवल उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने से संभव हुआ अपितु 569 किग्रा प्रति हे. से 944 किग्रा प्रति हे. तक उत्पादन में सुधार करने से भी संभव हुआ है। खाद्य तेलों का आयात 18.2 लाख टन (मूल्य 920 करोड़ रुपए) से कम करके केवल 1.1 लाख टन (मूल्य 160 करोड़ रुपए) किया गया। 1988-89 तक खाद्य तेलों के प्रमुख आयातक देश से भारत तिलहनों का निर्यातक बन गया। तिलहन उत्पादों का निर्यात 1993-94 में 1.280 करोड़ रुपए से बढ़कर 1995-96 में 2,680 करोड़ रुपए कर दिया गया। निर्यात में सबसे अहं भूमिका सोयाबीन, तेलरहित भोजन और अरंडी के तेल की रही। सोयीबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में तथा अरंडी का उत्पादन गुजरात राज्य में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा।

शुल्क तथापि, खाद्य तेलों के आयात पर धीरे-धीरे कम करके 65 प्रतिशत (1994) से घटाकर 15 प्रतिशत (1998) करने और वनस्पति तेलों के आयात पर डब्ल्यूटीओ व्यवस्था के अंतर्गत उदारीकरण करने से देश में सस्ते वनस्पति तेलों का अनियंत्रित आयात होने लगा। खाद्य तेलों का आयात 1993-94 में 1.4 लाख टन से 1999-2000 में 40 लाख टन से ऊपर हो गया। सस्ते खाद्य तेलों के आयात बढ़ने से घरेलू तिलहनों की कीमतें गिर गई। इसके अलावा 1999-

2000 से 2002-03 तक प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में विपरीत असर पड़ा। इससे खाद्य तेलों की मांग और पूर्ति में काफी अंतर आ गया। इसलिए देश में तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मिशन मोड दृष्टिकोण की तात्कालिक आवश्यकता है। इसके लिए तिलहन की उत्पादन प्रौद्योगिकियों में विकास से लेकर उसके प्रसंस्करण और विपणन सहायता तक संयुक्त रूप से समग्र तिलहन क्षेत्र में सभी मुद्दों को नीति माहौल बनाकर सुलझाने की जरूरत है। देश में व्याप्त विविध कृषि-पारिस्थितिकीय परिस्थितियां तिलहन का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है।

1.2 दालें

दालें भारत जैसे शाकाहारी देश में आहार संबंधी प्रोटीनों का मुख्य स्रोत हैं। उनका उत्पादन बढ़ाना और उनकी कीमतें गरीबों के दायरे तक रखना सबसे महत्त्वपूर्ण है। दलहन क्षेत्र में टीएमओपीएंडएम का प्रमुख योगदान है। दालों के क्षेत्र में टीएमओपी एंड एम कम प्रमुख योगदान सिंचाई/संसाधनों में वृद्धि के बावजूद क्षेत्र स्थिरीकरण (कवरेज) को दिया जा सकता है जोकि किसानों को अनाज/सब्जियां/गन्ना इत्यादि फसलें उगाने के लिए प्रेरित करती हैं, ये फसलें अच्छे साधन होने पर अच्छा उत्पादन देती हैं। 1998-99 में 235.0 लाख हेक्टेयर कवरेज क्षेत्र में 149.1 लाख टन (634 किग्रा/प्रति हेक्टेयर उत्पादन) प्राप्त किया गया जिसका श्रेय देश के 30 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एनपीडीपी के कार्यान्वयन को जाता है जिसके अंतर्गत 350 जिले शामिल हैं। देश की प्रमुख दालें लाल चना या तोर, अरहर, मटर या चना, काला चना (उर्द) हरा चना (मूंग दाल) और मसूर है। गौण दालों में राजमा और अन्य दालें, लोबिया, चना, मोठ, खेसरी दाल, ग्वार इत्यादि है।

1.3 मक्की

मक्की देश में एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है जिसका सबसे अधिक उत्पादन और उत्पादकता है। इसे भोजन, चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है और विशिष्ट किस्म की मक्की जैसे क्वालिटी प्रोटीन मेन (क्यूपीएम), बेबी कॉर्न, स्वीट कार्न, पॉप कार्न, उच्च स्टार्च और उच्च तेल इत्यादि सहित 35,000 से अधिक उत्पादों का स्रोत है। यह विभिन्न कृषि आर्थिक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है तथा किसी भी अन्य फसल से बढ़कर है। हाल की अनुसंधान प्रगति के कारण उच्च प्रोटीन युक्त मक्की, एकल क्रॉस और तीन तरफा क्रॉस संकर किस्म ने इस अनाज की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाया है। इसमें फसल पश्चात् प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन के माध्यम से रोजगार सृजन की अत्यन्त अधिक संभावना है। इस प्रकार मक्की का नियमित कृषि में एक महत्वपूर्ण स्थान है। गत पचास वर्षों में सरकारी क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों से मक्की के उत्पादन में कुल आठ गुना वृद्धि और उत्पादकता में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है। तथापि, मिशन मोड दृष्टिकोण में त्वरित मक्की विकास कार्यक्रम (एएमडीपी) के कार्यान्वयन के पश्चात् मक्की के उत्पादन क्षेत्र और उत्पादकता में रिकार्ड वृद्धि हुई है।

1.4 पॉम ऑयल

पॉम ऑयल, जिसका कि वनस्पति तेलों में सबसे अधिक उत्पादन होता है, सबसे पहले देश के केरल और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में शुरू हुआ था। बाद में टीएमओपीएंडएम के तत्वावधान में पॉम ऑयल की खेती को आंध्र प्रदेश, कर्णाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और गोवा के राज्यों में अन्य संभावित क्षेत्रों में 1992 के बाद केन्द्रीय प्रायोजित पॉम ऑयल विकास कार्यक्रम (ओपीडीपी) के माध्यम से विस्तारित किया गया। यद्यपि यह कार्यक्रम असम और त्रिपुरा के लिए स्वीकृत था परंतु इन दो राज्यों में नौवीं योजना तक कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। ओपीडी के तहत, 59229 हेक्टेयर क्षेत्र में 1992 से 2003 तक की अवधि में इसके पौधे लगाए गए। फिर भी 1999 से 2002 के दौरान सस्ते दामों पर खाद्य तेलों के भारी आयात के कारण और कुछ राज्यों में प्रसंस्करण प्रक्रिया न होने के कारण घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में भारी गिरावट आयी जिससे कुछ क्षेत्रों में पॉम के पौधों पर ध्यान नहीं दिया गया।

पॉम तेल के विकास कार्यक्रम के समर्थन के लिए, निम्नलिखित अवसंरचना और अन्य सुविधाएं पहले ही सृजित की जा चुकी है:-

(क) उद्यमियों द्वार नर्सरियों के साथ 1.5 मिलियन बीज पौध की क्षमता उत्पादन के बीजोद्यानों की स्थापना

(ख) प्रति घंटा 110.3 टन तक प्रसंस्करण क्षमता (अर्थात् 5.525 लाख टन एफएफ प्रति वर्ष @ 20 घंटा x 250 दिन तक चालू)

(ग) पत्ता विश्लेषण प्रयोगशाला

(घ) फसल विकास कार्यक्रमों को आवश्यक शोध समर्थन देने के लिए पॉम ऑयल के लिए राष्ट्रीय शोध केन्द्र

2. **तिलहन, दलहन, मक्की और पॉम ऑयल संबंधी एकीकृत योजना (आईसोपोम)**

कृषि और सहकारिता विभाग देश में तिलहनों, दालों, मक्की और पॉम ऑयल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए टीएमओपीएंडएम के अंतर्गत निम्नलिखित रूप से केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

1. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी).
2. राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना (एनपीडीपी)
3. त्वरित मक्की विकास कार्यक्रम (एएनडीपी)
4. पॉम ऑयल विकास कार्यक्रम (ओपीडीपी)

क्षेत्रीय रूप से अलग-अलग दृष्टिकोण के चलते, फसल विविधीकरण और इन कार्यक्रमों पर विशिष्ट ध्यान केन्द्रित करने के आधार पर इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्यों का छूट प्रदान करने हेतु तथा योजना आयोग के सुझावों के दृष्टिगत उपर्युक्त चार योजनाओं को संशोधित किया गया है और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एकीकृत योजना (आईसोपोम) में विलय किया गया है।

तिलहन, दलहन, पॉम ऑयल और मक्की संबंधी एकीकृत योजना (आईसोपोम) 2004-05 से कार्यान्वित की जाएगी।

2.1 आईसोपोम की प्रमुख विशेषताएं

आईसोपोम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

2.1.1 राज्यों को अपनी पसंद की स्कीम/फसल के लिए निधियों के उपयोग करने की छूट

2.1.2 भारत सरकार के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाने वाली वार्षिक कार्य योजना

2.1.3 राज्यों को नए उपाय या 10 प्रतिशत वित्तीय आवंटन की सीमा तक कोई विशेष अवयव शुरू करने की छूट

2.1.4 अधिकतम 15 प्रतिशत वित्तीय सीमा तक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी

2.1.5 गैर-बीज अवयवों के लिए 20 प्रतिशत तक निधियों के अंतर-घटक विपथन के लिए छूट

2.1.6 कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन से बीज अवयवों से गैर अवयवों में निधियों का विपथन

2.1.7 कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन से वेतनमान में संशोधन और मंहगाई भत्ते में वृद्धि के अलावा कम स्टाफ और आकस्मिकता में बढ़ोतरी की अनुमति नहीं है।

2.2 आईसोपोम के तहत शामिल राज्य और फसलें

2.2.1 आईसोपोम को 14 संभावित राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्णाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में तिलहनों और दलहनों के लिए कार्यान्वित किया जाना है। तथापि, मक्की के लिए जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों को शामिल किया गया है जबकि हरियाणा को अलग किया गया है।

2.2.2 अन्य राज्य कृषि में व्यापक प्रबंधन के लिए उनकी कार्य योजनाओं के अंतर्गत इन फसलों का विकास शुरू कर सकते हैं।

2.2.3 पॉम ऑयल विकास कार्यक्रम 12 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, केरल, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मिजोरम में कार्यान्वित किया जाएगा।

2.2.4 नौंवी योजना के दौरान तिलहन और दलहन कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले 14 राज्यों में सभी जिले दसवीं योजना के दौरान आईसोपोम के अंतर्गत शामिल किए जाते रहेंगे। तथापि, जिलों की क्षमता के आधार पर राज्य सरकार इस कार्यक्रम को अधिक जिलों में शुरू कर सकती है।

2.3 तिलहन, दलहन और मक्की के लिए आईसोपोम के अंतर्गत साधन आपूर्ति और समर्थन सेवाएं

उत्पादन में बाधाओं, प्रस्तावित कार्यनीति, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षमता के आधार पर किसानों तथा विकास/विस्तार एजेंसियों के लिए निम्नलिखित साधनों की आपूर्ति और समर्थन सेवाएं तिलहन, दलहन और मक्की की फसलों के लिए आईसोपोम के अंतर्गत अनुमोदित है:-

2.3.1 10वीं योजना में विद्यमान अवयव जारी रहे:-

1. प्रजनन बीज का उत्पादन और क्रय
2. फाउंडेशन बीज का उत्पादन
3. बीज ग्राम योजना के माध्यम से प्रमाणित बीजों का उत्पादन
4. प्रमाणित बीजों का वितरण
5. बीज के छोटे किटों का वितरण
6. बीज उत्पादन के लिए अवसंरचना विकास हेतु सहायता
7. पौधा संरक्षण रसायनों/पतवार नाशक/जैव कीट नाशकों की आपूर्ति
8. पौध संरक्षण उपकरणों की आपूर्ति
9. राज्य कृषि विभाग द्वारा आईपीएम प्रदर्शन
10. आईसीएआर द्वारा फ्रंटलाइन प्रदर्शन
11. छिड़काव सेटों की आपूर्ति
12. जैव-उर्वरकों का वितरण
13. चने और अरहर में फली संक्रमण के नियंत्रण के लिए परमाणु पोलीहेड्रोसिस वायरस (एनपीवी) का वितरण
14. किसानों का प्रशिक्षण
15. स्टाफ और आकस्मिकता
16. जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट का वितरण
17. योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

2.3.2 दसवीं योजना के दौरान नए अवयव निम्नलिखित हैं.

i. पाइपों का समावेश (एचडीपीई 75 मिमी)

ii. प्रचार

iii. निम्नलिखित गतिविधियों में गैर सरकारी संगठन, किसान संगठनों, सहकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों सहित निजी क्षेत्र की भागीदारी: -

क) - बीज उत्पादन

ख) - आदानों की आपूर्ति

ग) - विस्तार समर्थन

घ) - ब्लॉक प्रदर्शनियां और फ्रंटलाइन प्रदर्शनियां

iv. राज्यों द्वारा 10% आवंटन सीमा तक अभिनव उपाय और अतिरिक्त अवयव

v. अधिकारियों / विस्तार कर्मचारियों का प्रशिक्षण

vi. विदेशी दौरे

निम्नलिखित अवयव / इनपुट आपूर्ति रोक दी गई है या अन्य अवयवों में मिला दिए गए हैं:-

क. बीज उपचार- बीज उपचार आईपीएम का एक अभिन्न अंग है , इसलिए, इसे अलग घटक के रूप में हटा दिया गया है ।

ख. जड़ के कीड़े का नियंत्रण- जड़ में कीड़ा लगने में/ स्थानिक क्षेत्रों का एकीकृत नियंत्रण आईपीएम प्रदर्शन के तहत उपायों को दिखाया जा सकता है

ग. उन्नत खेत के साधनो की आपूर्ति, और

घ. सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की आपूर्ति

2.3.3 **अवयव परिव्यय**

i. आईएसओपीओएम के तहत इनपुट और समर्थन सेवाएं तिलहन, दालों और मक्का की निम्नलिखित तीन श्रेणियों में उपलब्ध कराई गई:

क. बीज अवयव

ख. प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण.

ग. गैर बीज अवयव (अन्य).

ii. हालांकि फसलों, जिलों के चयन, अंतर – अवयवों के समायोजन और यहां तक कि नए नवाचारों / घटकों को शामिल करने के मामले में राज्यों को कार्यात्मक छूट प्रदान की गई है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उन्नत किस्मों / इन फसलों के संकर बीजों की पर्याप्त उपलब्धता अभी भी एक बड़ी बाधा है, अच्छे किस्म के बीज की गुणवत्ता में सुधार करने पर और अधिक जोर दिया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में आईएसओपीओएम घटकों की ऊपर तीन श्रेणियों के बीच निम्नलिखित अस्थायी आवंटन किया गया है :

अस्थायी परिव्यय (लाख रुपयों में) - 2004-05 से 2006-07

फसल और अंश	अवयव की श्रेणी			
	कुल बीज	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	गैर बीज अवयव	कुल 2004–07 3–वर्ष
तिलहन				
केन्द्रीय	13785.0	10250.0	13065.0	37100
राज्य	3771.6	1200.0	4330.2	9301.8
कुल	17556.6	11450 .0	17395.2	46401.8
दालें				
केन्द्रीय	4911.0	5759.0	4130.0	14800 .0
राज्य	1148.3	473.8	1375.9	2998 .0
कुल	6059.3	6232.8	5505.9	17798 .0
मक्की				
केन्द्रीय	186.0	1164.0	300.0	1650 .0
राज्य	48.0	201.9	98.1	348 .0
कुल	234 .0	1365.9	398.1	1998 .0
कुल योग –तिलहन, दाल और मक्की				
केन्द्रीय	18882.0	17173.0	17495.0	53550 .0
राज्य	4967.9	1875.7	5807.2	12650.8
कुल	23849.9	19048.7	23302.2	66200.8

2.4 आईएसओपीओएम के तहत पॉम आयल के लिए साधन आपूर्ति और सहायता सेवा

नौवीं योजना से मौजूदा घटकों को निम्नलिखित परिवर्तन के साथ जारी रखा जा रहा है :

2.4.1 **रोपण सामग्रीः** सहायता को लागत की 75% सीमा को 5400/- रु. प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 7500/- प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है।

2.4.2 **खेती की लागतः** जबकि किसानों को खेती की लागत पर सहायता 15500/- रुपये प्रति हेक्टेयर के अधीन 50% तक सीमित रहेगी, बीजारोपण काल के लिए सहायता के लिए क्षेत्रफल की सीमा को मौजूदा 6 हेक्टेयर से बढ़ाकर 15 हेक्टेयर कर दिया गया है।

2.4.3 **ड्रिप सिंचाई**- लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों में ड्रिप सिंचाई सहायता की दर और प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर की सीमा अपरिवर्तित रहेगी।

2.4.4 **प्रशिक्षण, विस्तार, प्रचार, स्थापना और स्टाफ तथा अन्य चालू घटकों) बीजोद्यान, पत्ती विश्लेषण, अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण और जीनोटाइप का परीक्षण, आदि (**जरूरत के आधार पर समर्थन आवश्यकता के अनुसार दिया जाता रहेगा।

2.4.5 **प्रदर्शन**- उन ब्लॉकों में जहां नया वृक्षारोपण 500 हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन पर किया जा रहा है, वहां पाम आयल की खेती और प्रबन्धन प्रक्रियाओं और संभावित उत्पादन के 20 प्रदर्शन के लिए सहायता दी जाएगी। सहायता की राशि पौधारोपण सामग्री के लिए अधिकतम 10000/- रु प्रति हेक्टेयर और 4-5 वर्ष की बीजारोपण अवधि के लिए खेती हेतु 30950/- रु. तक सीमित होगा।

2.4.6 **डीजल पम्प सेट**- लागत की 50% सहायता की सीमा को 8000/- से 10000/- रुपए प्रति सेट की सीमा को बढ़ा दिया गया है।

2.4.7 बंजरभूमि का विकास:-

किसानों/सरकार/राज्य निगमों/केन्द्रीय सरकार/निगम/सहकारिताओं के स्वामित्वधीन बंजर भूमि के विकास के लिए आवंटित निधियों का 15 प्रतिशत उपर्युक्त संभावित राज्यों में पॉम ऑयल के विकास के लिए निर्धारित होगा। 15 प्रतिशत निधि में से 25 प्रतिशत निधियां बंजर भूमि की सिंचाई, अवसंरचना सुविधाओं के लिए प्रदान किया जाएगा।

2.5 कार्यान्वयन एजेंसी

1. आईसोपोम राज्य सरकारों द्वारा उनके कृषि/बागवानी विभागों के माध्यम से कार्यान्वित करना जारी रहेगा।
2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) प्रजनक बीज के उत्पादन और फ्रंटलाइन प्रदर्शन के लिए नोडल एजेंसी है।
3. राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी), भारतीय राज्य फार्म निगम (एसएफसीआई), कृभको इत्यादि मूल और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित करेंगे, जबकि प्रमाणित बीजों और छोटे किटों का वितरण केन्द्रीय स्तर पर एनएससी और एसएफसीआई द्वारा किया जाएगा।
4. निजी क्षेत्र जैसे गैर सरकारी संगठन, कृषक संगठन, सहकारी निकाय, और सरकारी क्षेत्र की एजेंसियां भी कार्यक्रम के कुछ अवयवों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के माध्यम से सम्मिलित होगी। तथापि, कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र और अन्य गैर सरकारी निकायों अवयवों के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र और अन्य गैर सरकारी निकायों की भागीदारी किसी विशिष्ट अवयव के लिए आवंटन का केवल 15 प्रतिशत तक सीमित होगी। कृषि और सहकारिता विभाग एवं योजना आयोग द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी की मध्यकालीन समीक्षा के बाद यदि आवश्यक हुआ तो 15 प्रतिशत की इस सीमा को बढ़ा सकता है।

5. योजना का प्रभाव आकलन/मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा 10वीं योजना के अंत में किया जाएगा।

2.6 आईसोपोम के तहत वित्तीय सहायता की पद्धति

2.6.1 तिलहन, दलहन और मक्की:

i. चुनिंदा राज्यों में तिलहनों, दालों और मक्की के विकास के लिए अनुमोदित अवयवों के संबंध में वित्तीय सहायता की पद्धति परिशिष्ट I में दी गई है।

ii. पहले के अवयवों से यह पता चला है कि अधिकांश राज्य सरकारें भारत सरकार की आवंटित/जारी निधियों को रोकती हैं, इसके अलावा राज्य के समान अनुदान के लिए स्वीकृति नहीं देते हैं। प्रत्येक बुआई के मौसम से ठीक पहले राज्य के प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब/जारी न किए जाने से कार्यक्रम कार्यान्वयन रुक जाता है। इसलिए, राज्यों को समय पर राज्य के तत्संबंधी अंश सहित राज्य स्वीकृति को सुनिश्चित करना चाहिए। बजट में असमान विलंब/बजट का उपयोग न होने से देय किश्तों को जारी नहीं किया जा कसता है, और उन्हें सबसे अच्छा काम करने वाले राज्यों को भी दे दिया जाता है।

iii. **राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी)** आईसोपोम राज्यों के लिए राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति कानूनी रूप से आवश्यक होगी। एसएलएससी वर्ष में कम से कम दो बार, एक खरीफ फसल शुरू होने से पहले और एक रबी फसल शुरू होने से पहले। वस्तु विकास निदेशालय (सीडी) और टीएमओपीएंडएम के प्रतिनिधि को भी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

iv. राज्य सरकारों को निधियों के अंतर अवयव विपथन के लिए छूट गैर बीज अवयव के लिए आवंटित निधि की 20 प्रतिशत सीमा तक ही दी गई है। अभिनव उपाय अथवा कोई विशिष्ट अवयव शुरू करने के लिए राज्यों को छूट वित्तीय आवंटन के 10 प्रतिशत तक ही है। तथापि, ये परिवर्तन एसएमएससी द्वारा विधिवत अनुमोदन दिए जाने के बाद राज्य सरकार के कृषि विभाग की स्वीकृति से ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। इन परिवर्तनों के संबंध में टीएमओपीएंडएम और तिलहन एवं दलहन निदेशालयों को सूचित किया जाना चाहिए।

v. जैसे कि पहले ही उल्लेख किया गया है, क्षेत्र विस्तार के लिए गुंजाइश, जिससे अधिकांश वृद्धि में योगदान हुआ है, अब बहुत सीमित है। इसलिए, उत्पादन में आगे की वृद्धि अधिकांशत: उत्पादकता वृद्धि से होगी। यह सुझाव दिया जाता है कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए पैकेज के आधार पर इनपुट समर्थन किसी जिले में किसी सघन क्षेत्र (एकजुट आधार पर) काफी लाभार्थी कृषकों को इस तरह दिया जा सकता है कि उस जिले में क्षेत्र/उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि प्राप्त करने के लिए पूरा क्षेत्र अगले 4-5 वर्षों की अवधि के लिए सघन पैकेज के तहत लाया जाए। व्यापक समर्थन और

पौध संरक्षण आईपीएम दृष्टिकोण के साथ आईसोपोम के अंतर्गत शामिल पूरे जिले में उपलब्ध किया जा सकता है।

2.6.2 पॉम ऑयल

i. चुनिंदा जिलों में पॉम ऑयल के विकास के लिए अनुमोदित अवयवों के संबंध में वित्तीय सहायता की पद्धति परिशिष्ट-II में दी गई है।

ii. आईसोपोम के अंतर्गत अन्य फसलों के लिए उपलब्ध छूट राज्यों द्वारा भी इस फसल की उपादेयता के अध्यधीन प्राप्त की जा सकती है।

2.7 दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए उत्पादन लक्ष्य और परिव्यय

2.7.1 उत्पादन लक्ष्य

i. वनस्पति तेलों और दालों में मांग और पूर्ति के बीच अंतर पाटने और आयात को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की जरूरत के मद्देनजर देश में उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्षमता और संभावनाओं को आगे और तेज किया जाना चाहिए।

ii. मक्की के उत्पादन को बढ़ाना भी दोनों मात्रा तथा पोषक जरूरतों की दृष्टि से, पशुओं के भार के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने और औद्योगिक प्रयोग के लिए, भारी मात्रा में विविधीकृत मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ाने के लिए समय की मांग है जिससे फसल से बेहतर मूल्य मिल सके और फसल प्रणाली में अपेक्षित विविधीकरण आ सके।

iii. यद्यपि पॉम ऑयल पौधीकरण विकास के लिए कुल क्षमता एक विशेषज्ञ दल ने लगभग 5.7 लाख हेक्टेयर बताई है, परंतु अब तक प्राप्त अनुभव यह संकेत देते हैं कि भविष्य में कार्यक्रम को अधिक महत्वाकांक्षी तरीका सीमित क्षेत्र में केन्द्रित प्रयास करने और अधिक सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की है। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में तिलहनों, दलहनों, मक्की के उत्पादन लक्ष्यों और क्षेत्र विस्तार के वर्षवार लक्ष्य निम्नलिखित हैं:-

दसवीं योजना के लक्ष्य

वर्ष	उत्पादन लाख टन			क्षेत्र हे. में
	नौ तिलहन	दलहन	मक्की	पॉम ऑयल
8 वर्ष का औसत उत्पादन	220	140.0	120.7	
2002-03	233.0	144.0	125.0	8000
2003-04	247.0	148.0	130.0	9000
2004-05	262.0	153.0	135.5	10000
2005-06	278.0	157.0	141.0	11000
2006-07	294.0	162.0	146.5	12000
दसवीं योजना – विकास दर लक्ष्य	6%	3%	4%	
ऑयल पॉम के अंतर्गत दसवीं योजना का कुल क्षेत्र लक्ष्य				50000

2.7.2 वित्तीय परिव्यय

दसवी योजनावधि के दौरान आइसोपोम के अंतर्गत साधन और सेवा समर्थन के लिए वित्तीय आवंटन निम्नानुसार है:

आइसोपोम के अंतर्गत प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय

(रु करोड़ में.)

वर्ष	तिलहन		
	केन्द्रीय अंश	राज्य का अंश	कुल
2002-03	76.000	17.132	93.132
2003-04	93.000	22.000	115.000
2004-05	120.000	30.158	150.151
2005-06	124.000	31.050	155.050
2006-07	127.000	31.817	158.817
कुल	**540 .000**	**132.157**	**672.15 0**
	दालें		
2002-03	31.000	2.714	33.714
2003-04	36.000	6.375	42.375
2004-05	45.000	8.990	53.990
2005-06	50.000	10.218	60.218
2006-07	53.000	10.772	63.772
कुल	**215 .000**	**39.069**	**254.069**
	मक्की		
2002-03	5.500	1.061	6.561
2003-04	8.000	1.825	9.825
2004-05	5.500	1.160	6.660
2005-06	5.500	1.160	6.660
2006-07	5.500	1.160	6.660
कुल	**30 .000**	**6.366**	**36.366**
	पॉम ऑयल		
2002-03	3.950	1.317	5.267
2003-04	4.000	1.333	5.333
2004-05	14.020	4.673	18.693
2005-06	14.020	4.673	18.693
2006-07	14.010	4.670	18.680
कुल	**50 .000**	**16.666**	**66.666**
	कुल आइसोपॉम*		
2002-03	116.450	22.222	138.672
2003-04	141.000	31.533	172.533
2004-05	184.520	44.983	229.503
2005-06	193.520	47.101	240.621
2006-07	199.510	48.419	247.929
Total	**835 .000**	**194.258**	**1029.258**

* आइसोपोम के अंतर्गत, राज्यों को अपनी पसंद की योजना/फसल के लिए निधियों के उपयोग के लिए छूट दी गई है।

2.8 तिलहन, दलहन और मक्की संबंधी अवयववार कार्यात्मक दिशा-निर्देश

राज्य सरकारों द्वारा आईसोपोम के कार्यान्वयन के लिए व्यापक दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं:-

2.8.1 बीज का उत्पादन और वितरण

i. नए उन्नत किस्मों/संकर बीजों के प्रसार में उनकी उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने में प्रमुख रुकावट गुणवत्ता वाले बीजों की कमी जारी रहना है। बीज के उत्पादन में समय लगता है, लागत अधिक लगती है और वर्षा की स्थिति में जोखिमपूर्ण है जिसमें तिलहनों, दलहनों और मक्की को उगाया जाता है। इस प्रकार बीज उतपादन के लिए राज्यों को अग्रिम योजना बनाने की जरूरत है जिसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है:

(क) फसल का क्षेत्र बढ़ाना;

(ख) प्रस्तावित किस्म को बदलना;

(ग) स्वत:/खुले पोलीनेटयुक्त किस्मों के मामले में बीज का उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन;

(घ) संकर किस्म के तहत क्षेत्र विस्तार; और

(ड.) नई किस्मों/संकर बीजों का संवर्धन

ii. बीज प्रबंधन राज्य और केन्द्रीय बीज उत्पादन एजेंसियों के सहयोग में राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। अच्छी किस्म के बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक पंचवर्षीय योजना तैयार करेंगे जिसमें प्रजनन फाउंडेशन और प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए प्रमाणित बीज की आवश्यकता का उल्लेख करेंगे और उनका उचित संवर्धन और वितरण को सुनिश्चित करेंगे।

iii. निम्नलिखित चार्ट में अच्छी किस्म के बीज में शामिल स्तरों और समय का उल्लेख किया गया है:-

उत्पादन वर्ष	**उत्पादन स्तर**	**उत्पादन एजेंसी**
प्रथम वर्ष	एकल	आईसीएआर
द्वितीय वर्ष	एकल से प्रजनन	आईसीएआर
तृतीय वर्ष	प्रजनक से फाउंडेशन	आईसीएआर/बीज निगम/राज्य कृषि विश्वविद्यालय
चतुर्थ वर्ष	फाउंडेशन से प्रमाणित	एसएफसीआई/कृभको/एनएससी बीज निगम, तिलहन, अन्य
पंचम वर्ष		खेती से किसान को वितरण

iv. प्रजनक बीज का उत्पादन और आपूर्ति

(क) आईसीएआर तिलहनों, दलहनों और मक्की फसलों के प्रजनक बीज के उत्पादन और आपूर्ति को आयोजित करना।

(ख) राज्य कृषि विभाग (एसडीए) और अन्य मांग एजेंसी अपनी प्रजनक बीज की किस्मवार मांग कृषि और सहकारिता विभाग के बीच प्रभाग को भेजेंगे और

उसकी प्रतिलिपि तिलहन और दाल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमओपीएंडएम) और तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद और दलहन विकास निदेशालय भोपाल को संवीक्षा के लिए तथा उत्पादन संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) को अग्रेप्रित करने हेतु भेजेंगे।

(ग) मांग पत्र वास्तविक होना चिाहए और यथासंभव नए निर्गमित बीज, संस्तुत उन्नत किस्म के बीजों के लिए संबंधित राज्यों को मांग पत्र भेजने के लिए वरीयता दी जानी चाहिए ताकि उनका समय पर प्रसार हो सके।

(घ) कई बार राज्य प्रजनक बीजों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए सीधे अपने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी मांग पत्र भेजते हैं कि वे कुछ प्रचलित राष्ट्रीय बीज किस्मों, जो आईसीएआर के कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं, का उत्पादन और आपूर्ति करें ताकि उन्हें भारत सरकार को भेजी गई मांग से ऊपर अतिरिक्त आपूर्ति मिल सके।

(ड.) इन फसलों की राज्य में प्रचलित किस्मों के संबंध में, जो आईसीएआर के माध्यम से कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा संचालित प्रजनक बीज उत्पादन के अंतर्गत नहीं आते हैं, राज्य कृषि विभाग अपनी मांग संबंधी राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/राज्य के अंतर्गत प्रजनक बीज उत्पादन एजेंसियों को कृषि और सहकारिता विभाागग में टीएमओपीएंडएम और इसके निदेशालय के परामर्श से भेज सकते हैं।

(च) उन किस्मों/संकर किस्मों के संबंध में, जिन्हें आईसीएआर द्वारा संचालित किए जा रहे प्रजनक बीज उतपादन कार्यक्रम में शामिल किया गया है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपनी पूरी जरूरत को औचित्य के साथ बीज प्रभाग को भेजेगे जिसकी प्रतियां जांच के लिए टीएमओपीएंडएम और डीओडी, हैदराबाद तथा आगे आईसीएआर को भेजने के लिए डीपीडी भोपाल को भेजी जायेंगी।

(छ) आईसीएआर कार्यक्रम में सम्मिलित प्रजनक बीज की किस्मों/संकर बीजों को मांग करने वाली एजेंसियों द्वारा उठाने और उत्पादक एजेंसियों द्वारा उन्हें आपूर्ति कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार ही होगी।

(ज) प्रजनक बीज को उठाने के लिए सुनिश्चित करने हेतु उत्पादक एजेंसियां अंतिम तारीख के बाद प्रजनक बीज के भण्डार, शेष उठाए न गए भण्डार और उन एजेंसियों के नाम जो उठाने में विफल रहे, कारणों सहित, यदि कोई हो, रिपोर्ट देंगी।

(झ) उठाए गए प्रजनक बीजों के संबंध में एक रिपोर्ट राज्य कृषि विभाग/मांग करने वाली एजेंसी द्वारा कृषि और सहकारिता विभाग के बीच प्रभाग और अन्य लोगों

को खरीफ तिलहन के लिए अगस्त आखिरी तक और रवि तिलहन के लिए नवम्बर अंत तक दी जाएगी।

(ञ) खराब गुणवत्ता के कारण प्रजनक बीजों को न उठाए जाने की रिपोर्ट तत्काल प्रजनक बीज उत्पादन एजेंसी के मुखिया, सहायक महानिदेशक (बीज), आईसीएआर, कृषि भवन, नई दिल्ली और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को दी जाएगी।

(ट) 175/- लाख रुपये प्रतिवर्ष की सहायता इन फसलों के प्रजनक बीज के उत्पादन का संचालन करने के लिए स्वीकृत 124 पद के लिए आईसीएआर को दी जाएगी।

(ठ) प्रजनक बीज मांगकर्ता/आवंटती द्वारा आईसीएआर/राज्य कृषि विश्वविद्यालय के उत्पादक केन्द्र से भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रजनक बीज के लिए निर्धारित समान दर के अनुसार 100 प्रतिशत लागत का भुगतान करने पर उठाया जाएगा। तथापि, प्रजनक बीज की पूर्ण लागत की राज्य एजेंसियों को राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार एवं राज्यों के बीच 75.25 के अंश बंटवारे के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

v. फाउंडेशन बीज का उत्पादन

क. प्रति क्विंटल 500/- रुपये की सहायता राज्य कृषि विभागों, एनएससी, कृभको, एसएफसीआई इत्यादि को फाउंडेशन बीज के उत्पादन को संचालित करने के लिए दी जाएगी। तथापि, यह देखा गया है कि यद्यपि फाउंडेशन बीज की उपलब्धता में सुधार हुआ है, तो इसका उत्पादन प्रजनक बीज की आपूर्ति के अनुसार नहीं है।

ख. प्रजनक बीज के परिवर्तन में लक्ष्यत बीज के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु एक दृष्टिकोण सुझाया गया है जिसे फाउंडेशन बीज के उत्पादन के लिए भी अपनाया जाना चाहिए।

vi. प्रमाणित बीज उत्पादन (बीज ग्राम कार्यक्रम)

क. प्रत्येक जिले में मांग के आधार पर बीज ग्राम आयोजित किए जाने चाहिए। इससे बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी और इसकी प्रबंधन लागत कम होगी।

ख. बेहतर फसल और गुणवत्ता के लिए अधिक आश्वस्त सिंचाई स्थितियों में बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता के लिए उत्पादन

ग. बीज ग्राम के चयन में निम्नलिखित पहलू ध्यान में रखने चाहिए:-

- बीज ग्राम का चयन दीर्घकालिक/स्थायी आधार पर होना चाहिए जहाँ एक से अधिक फसल (तिलहन/दाल/मक्की) को विभिन्न मौसमों में उगाया जा सके ताकि ऐसे ग्रामों में किसानों की बीज उत्पादन करना नियमित गतिविधि बन सके।
- चुने गए खेतों में सिंचाई सुविधा होनी चाहिए।
- वर्षा से सिंचित स्थितियों में बीज ग्रामों का चयन संरक्षणात्मक अनुपूरक सिंचाई प्रदान करने के प्रावधान के साथ जल संभर क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।
- सम्मिलित किसानों को विकासशील होना चाहिए, साधनों में आवश्यक निवेश करने के लिए इच्छुक होना चाहिए, फसल ऋण और अन्य आवधिक ऋणों का पात्र होना चाहिए और सामूहिक कार्य करना चाहिए।
- बीज ग्राम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए ग्राम की पात्रता के लिए क्षेत्र की न्यूनतम सीमा और लाभार्थियों की न्यूनतम संख्या भी निर्धारित की जानी चाहिए।
- क्षेत्र का चयन जिला कृषि अधिकार के परामर्श से समय पर किया जाएगा और बीज ग्राम कार्यक्रम के लिए चयनित क्षेत्र क्षमतायुक्त होना चाहिए तथा प्रत्येक वर्ष बदला नहीं जाना चाहिए। कार्यक्रम को बीज सोसाइटियों के माध्यम से भी कार्यान्वित किया जाना चाहिए जिसमें, कम से कम 11 अधिकतम 51 बीज उत्पादक सदस्य हो सकते हैं।

घ. बीज ग्राम के अंतर्गत प्रदत्त सहायता प्रति क्विंटल 500/- रुपये के भाग के रूप में अर्थात 375/- रुपये किसानों को बीज के प्रमाणीकरण की लागत, कड़े और छोटे बीज के दौरान हुई क्षति को पूरा करने के लिए दिया जाना चाहिए। सहायता के अंश को अवसंरचना में सुधार करने और साफ करने, ग्रेडिंग पैकेजिंग इत्यादि की अन्य सुविधाओं के लिए किया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि बीज ग्राम कार्यक्रम के कुल आवंटन से विशिष्ट राशि को चरणबद्ध तरीके से इन सुविधाओं के सृजन के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

ड. शेष 125/- रुपये की राशि को बीज के प्रबंधन, प्रसंस्करण/सफाई/ग्रेडिंग, परिवहन और भण्डारण प्रभारों इत्यादि के लिए क्रय एजेंसियों (एसएससी/ऑयलफेड्स, एनएसडी, एसएफसीआई) के अधिकार में दी जानी चाहिए।

च. सही समन्वय रखने और अन्तर-निर्मित अवयव की जांच के लिए 500/- रुपये प्रति क्विंटल की राजसहायता (375+125) को कृषि मंत्रालय के माध्यम से आनी

चाहिए और जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से लाभार्थी को वितरित की जानी चाहिए।

छ. बीज निगम के अतिरिक्त, ऑयलफेड, गैर सरकारी संगठन निजी एजेंसियों, कृषि विकास केन्द्रों को बीज ग्राम कार्यक्रम को संचालित करने में भी शामिल करना चाहिए।

ज. बीज उत्पादन एजेंसियां राज्य कृषि विभाग के परामर्श से औचित्यपूर्ण प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे जिसमें क्षमतापूर्ण/अधिसूचित/राज्य के लिए संस्तुत नवीनतम किस्मों को शामिल किया जाएगा।

झ. बीज ग्राम कार्यक्रम के लिए दीर्घकालिक रणनीति को किसान बीज सहकारिताओं के माध्यम से प्रमाणित बीज के उत्पादन और विपणन को संचालित करने के लिए बनाया जा सकता है जबकि बीज निगम/ऑयलफेड इत्यादि अपने प्रयास प्रजनक बीज और नए फाउंडेशन बीज/उन्नत किस्मों के उत्पादन पर केन्द्रित कर सकते हैं।

ञ. बीज ग्राम में शामिल किसान और फील्ड स्तर के कार्यकर्त्ताओं को "किसान प्रशिक्षण" अवयव के अंतर्गत सभी आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुछ सामान्य नमूने राज्य सरकार द्वारा बीज ग्राम को आवंटित किए जा सकते हैं।

ट. अनुबंध संबंधी बाध्यताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीज की अनुबंधित/लक्ष्यित मात्राओं का उत्पादन किया गया है और उनकी आपूर्ति की गई है, वित्तीय सहायता की पूर्वशर्त बनाया जाना चाहिए।

ठ. बीज को समय पर उठाने और किसानों को तुरंत भुगतान करने को किसानों में विश्वास पैदा करने के लिए सुनिश्चित किया जाए।

ड. नए किस्म/संकर बीजों पर कार्यक्रम में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

. पुरानी/अप्रचलित/गैर-अधिसूचित बीजों और किस्मों को जिनकी समाप्त करने के लिए पहचान की गई है, बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र नहीं है।

ण. बीज उत्पादन को विशिष्ट जांच टीमों/बीज प्रमाणन टीमों द्वारा जांचा जाना चाहिए।

त. बीज प्रापण, सफाई और भण्डारण में:-

- बीजों का प्रापण, उनकी सफाई और भण्डारण प्रमाणित बीज उत्पादन का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए, बीज उत्पादन एजेंसियों को बीज ग्राम के समीप सफाई उपकरणों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। इसके पीछे मूल विचार

किसानों को स्थानीय रूप से संस्तुत उत्पन्न प्रमाणित बीज की किस्मों को उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है जिससे बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) में सुधार किया जा सके।

- राज्य सरकार विभिन्न एजेंसियों/सहकारी संस्थाओं/परिसंघों/गैर सरकारी संगठनों/ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों इत्यादि को, जिनके पास बीज उत्पादन कार्यक्रमों में अनुभव और अवसंरचना है, शामिल कर सकती है।
- पेश आने वाली मुख्य कठिनाई ऋण की आपूर्ति है। राज्य सरकार को इसका समाधान सहकारी बैंकों या नबार्ड या वाणिज्यिक बैंकों के साथ जोड़कर निकालना चाहिए। इससे बीजों की आपूर्ति के लिए किसानों को तुरंत भुगतान किया जाएगा।
- बीज उत्पादन एजेंसियां यह भी सुनिश्चित करेगी कि भण्डारण सुविधा बीज ग्राम के समीप मौजूद हो।

vii. गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए क्रैश कार्यक्रम

क. तिलहन और दलहन का गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए क्रैश कार्यक्रम दसवीं योजना के दौरान जारी रहेगा।

ख. जैंसे कि यह घटक बीजों की आपात / आकस्मिक जरूरत को पूरा करने के लिए है, नोडल एजेंसियां (एनएससी/एसएफसीआई) परिसंघ/गैर सरकारी संगठनों/ पंजीकृत बीज उत्पादकों/एसएससी/ निजी एजेंसियों इत्यादि को भी क्रैश बीज उत्पादन कार्यक्रम में शामिल करेंगी।

ग. संबंधित राज्य सरकारों को उपर्युक्त फसलों के लिए क्रैश कार्यक्रम के अंतर्गत बीज उत्पादन की अपनी किस्म-वार जरूरत को फसल उत्पादन के मौसम से कम से कम छह महीने पहले टीएमओपीएंडएम को भेज सकते हैं।

घ. गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन पर सहायता की दर को बीज ग्राम योजना के समान यानी बीज उत्पादक के लिए 375/-रुपए प्रति क्विंटल और प्रबन्धन एजेंसी के लिए 125 /- रु प्रति क्विंटल होगी।

ड. खरीदे गये गुणवत्तापूर्ण बीजों को नोडल एजेंसी द्वारा ग्रेड युक्त किया जायेगा और पैक किया जायेगा तथा इनकी प्रसंस्करण और पैकिंग पर होने वाले खर्च को टीएमओपी द्वारा प्रदत्त निधियों में से इन एजेंसियों द्वारा वहन किया जायेगा।

च. बीज उत्पादन की व्यवस्था लक्षित क्षेत्रों के निकटतम क्षेत्रों में की जायेगी जिससे परिवहन लागत कम हो सके।

छ. क्रेश कार्यक्रम के खेतों की उत्पादन एजेंसी के प्रतिनिधि, राज्य कृषि विश्वविद्यालय/आईसीएआर संस्थान, डीएसी के वैज्ञानिकों वाली टीम द्वारा

उत्पादन मौसम में दो बार, एक फूल लगने से पहले और दूसरा परिपक्व स्तर पर निरीक्षण किया जायेगा।

ज. एनएससी/एसएफसीआई वास्तविक लेबल लगे बीजों के वितरण पर बीज की लागत के 25 प्रतिशत की दर से 600/- रुपये प्रति क्विंटल तक, जो भी कम हो, सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

viii. प्रमाणित बीजों का वितरण

क. किसानों को राज सहायता प्राप्त कीमतों पर प्रमाणित बीजों की आपूर्ति के लिए बीज की लागत के 30 प्रतिशत से 800/- रुपये प्रति क्विंटल तक सहायता उपलब्ध होगी। यह सहायता सभी तिलहनों, दलहनों और मक्की फसलों के लिए उपलब्ध होगी। तथापि, सहायता पहले से ही गैर अधिसूचित/समाप्त किस्मों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

ख. उपर्युक्त फसलों के वास्तविक लेबल लगे (टीएल) बीजों के लिए बीज की लागत के 25 प्रतिशत या 600/- रुपये क्विंटल, जो भी कम हो की सहायता केवल उन्हीं मामलों में उपलब्ध होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों।

- नई किस्मों के मामले में, जिनकी पहचान की गई है और निर्गमन के लिए संस्तुत किए गए हैं परंतु जिनकी अधिसूचना नहीं हुई है, राज्य स्तर पर राज्य किस्म निर्गमन समिति द्वारा किस्मों/संकर बीजों के लिए जारी किया गया है और प्रचलित किस्मों के मामले में, जिनकी भारी मांग है परंतु प्रमाणित बीज उत्पादन तक सीमित हैं।
- बीज को बीज ग्राम कार्यक्रम/पंजीकृत बीज उत्पादक/गैर-सरकारी संगठन/बीज सोसाइटियों और फ्रंटलाइन/ब्लॉक नमूनों/आइसोपोम के अधीन आयोजित क्रेश कार्यक्रम से प्राप्त किया गया है।
- बीज को आईसीएआर/अन्य अनुसंधान संस्थान/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/ऑयलफेड/राज्य बीज निगम/राज्य में सहकारी एजेंसियों/एनएससी/एसएफसीआई और गैर-सरकारी संगठनों/निजी एजेंसियों जैसी प्रमुख एजेंसियों के पर्यवेक्षणाधीन खरीदा गया है तथा जिनकी इस प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से पहचान की गई है और बीज उत्पादन के पर्यवेक्षण के लिए जिनके पास अयोग्यताप्राप्त मानव बल उपलब्ध है।
- प्रसंस्कृत ग्रेड युक्त वाणिज्यिक अनाज को टीएल बीज के रूप में नहीं समझा जायेगा और यह राजसहायता के लिए पात्र नहीं होगी।

ix. छोटी किटों का वितरण-किस्मों का विविधीकरण

i.i छोटी किट किसानों को नवीनतम रूप से निर्गमित/पूर्व निर्गमित और किसानों के बीच उनके प्रसार को शुरू करने और प्रचलित करने के लिए होते हैं। सरकार ने 10 वर्ष पुरानी किस्मों/संकर बीजों को इस कार्यक्रम के अधीन वित्तीय सहायता के लिए पात्रता निर्धारित की है।

i.ii निर्गमित किस्मों के मामले में केवल प्रमाणीकृत बीजों की छोटी किटों में आपूर्ति की जायेगी।

i.iii तिलहनों, दाल और मक्की की फसलों के संकर बीज छोटी किटों के अंतर्गत वितरित किए जा सकते हैं।

i.iv यद्यपि एनएससी छोटी किटों में वितरण के लिए पहचान किए गए किस्म-किस्म/संकर बीजों के उत्पादन, खरीद के लिए नोडल एजेंसी के रूप में बनी रहेगी परंतु एसएफसीआई भी टीएमओपीएंडएम द्वारा सीधे किए गए आवंटन/दिये गये मांग पत्र के अनुसार छोटी किटों में बीज को उत्पादित और आपूर्ति करेगा।

चार्ट

iv. तिलहन, दालों और मक्की बीज के छोटे किटों के वितरण के लिए कार्यक्रम भारत सरकार के कृषि आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति राज्यों सरकारों के परामर्श से तय करेगी। समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

1.	कृषि आयुक्त	- अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (टीएमओपी)	- सदस्य
3.	निदेशक, (टीएमओपी)	- सदस्य
4.	निदेशक डीओडी, हैदराबाद और डीपीडी, भोपाल	- सदस्य
5.	कृषि और सहकारिता विभाग के बीज प्रभाग के प्रतिनिधि	- सदस्य
6.	एनएससी / एसएफसीआई के प्रतिनिधि	- सदस्य
7.	अपर महानिदेशक (बीज), आईसीएआर	- सदस्य
8.	परियोजना समन्वयकों (एफएलडीएस), आईसीएआर	- सदस्य
9.	राज्यों के कृषि निदेशक या उनके प्रतिनिधि	- सदस्य
10.	टीएमओपी के योजना अधिकारी	- सदस्य
11.	विशेषज्ञ / गैर सरकारी संगठनों/ निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि जिन्हें टीएमओपी द्वारा आमंत्रित किया जाए	- सदस्य

I.iv. समिति की बैठक प्रत्येक फसल मौसम के शुरू में यानी कि खरीफ की फसल के लिए अप्रैल में तथा रबी/ग्रीष्मकालीन की फसल के लिए अगस्त में होगी जिनमें निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए बैठक प्रारंभ होने से पहले किया जाएगा:

- राज्यों की आवश्यकता की पहचान की गई किस्मों के बीज की उपलब्धता की समीक्षा।
- बीज छोटे किटों के वितरण कार्यक्रमों के तहत पूर्ववर्ती मौसम/वर्षों में राज्यों में वितरित किस्मों/संकर बीजों के निष्पादन की समीक्षा।
- मौसम के लिए छोटी किट के वितरण के कार्यक्रम को तैयार करना।
- प्रजनक बीज के फाउंडेशन और नए निर्गमित किस्मों और संकर किस्मों के प्रमाणित बीजों की उपलब्धता और और उत्पादन कार्यक्रम की समीक्षा।
- किसानों को सामान्य वितरण के लिए छोटी किटों के कार्यक्रमों के अंतर्गत अत्यंत सुदृढ़ पाए गए किस्मों / संकर बीजों के उत्पादन के लिए राज्यों के कार्यक्रमों की समीक्षा।
- एसएससी, ऑयलफेड्स, कृषि विकास केन्द्रों, गैर सरकारी संगठनो, नजी क्षेत्र, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियोंजिलके पास उत्पादन कार्यक्रमको व्यापक बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी और बुनियादी सुविधाएं मौजूद है, में से एजेंसियों की पहचान करना। एनएससी इन एजेंसियों के साथ कार्यक्रम संबंधी समन्वय करेंगे।

i.vii. बीज के छोटे किटों में बीज शोधन, रसायनो, फसलों को मिलाने (फलिओं के लिए) और बीज की किस्म और संकर के लिए संस्तुत पैकेज।

i.viii फसल- वार बीजों के छोटे किटों के आकार निम्नलिखित हैं:

बीज के छोटे किटों का आकार								
आयलसीड			**दलहन**			**मक्की**		
फसल	क्षेत्र हे..	बीज किग्रा.	फसल	क्षेत्र हे.	बीज किग्रा.	फसल	क्षेत्र हे.	बीज किग्रा.
मूंगफली	0.125	20	अरहर/तोर		4		0.1	2
सोयाबीन		8	मूंग		4			
रैपसीड& सरसों	0.2	2	उर्द		4			
सूरजमुखी	0.1	2	मसूर		4			
तिल	0.2	1	लोबिया		4			
करडी	0.1	2	मोठ		4			
रामतिल	0.1	1	ग्वार		4			
अरंडी	0.1	2	चना		8			
अलसी	0.1	3	मटर		8			
			राजमा		3			

i.ix ऐसे बीज के छोटे किटों की लागत की प्रतिपूर्ति एनएससी/एसएफसीआई को की जाएगी और अन्य छोटे किट की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों का निर्णय, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (टीएमओपी) की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें सदस्यों के रूप में निदेशक (टीएमओपी), निदेशक (वित्त) कृषि और सहकारिता विभाग, उप/सहायक आयुक्त (ओएंडपी), एसपीसी (मक्की) और अवर सचिव टीएमओपी, एनएससी, एसएफसीआई और अन्य छोटी किट की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि होंगे।

i.x विभिन्न मौसमों के लिए छोटी किटों की ॠापर्ति के लिए अंतिम तारीखें निम्नलिखित होंगी:-

- खरीफ की मानसून पूर्व फसल : अप्रैल अंत
- खरीफ की सामान्य मौसम की फसल : मई अंत
- खरीफ की बाद की फसलें जैसे सूरजमुखी : जुलाई अंत
- प्रारंभिक रबी की फसले जैसे तोरिया : अगस्त अंत
- रबी की फसल : 15 सितम्बर
- ग्रीष्मकालीन फसल : तटीय और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों के लिए - नवम्बर अंत तथा उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों के लिए - 15 जनवरी

i.ix नई किस्मों के बीजों के छोटे किटों की आपूर्ति केवल एनएससी/एसएफसीआई को टीएमओपीएंडएम द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। बीज के छोटे किटों की आपूर्ति किसानों को राज्य कृषि विभाग के माध्यम से ही एनएससी/एसएफसीआई द्वारा की जाएगी। छोटे किटों की लागत एनएससी/एसएफसीआई को टीएमओपीएंडएम द्वारा निर्धारित दरों पर बीज के छोटे किटों के बिल और पावती प्राप्त होने पर ही संबंधित राज्य कृषि विभागों द्वारा की जाएगी।

x. अवसंरचनात्मक विकास

बीजों का अधिक उत्पादन और इनका भंडारण इस कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसलिए राज्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रयोजनार्थ जरूरत के मुताबिक उचित अवसंरचना की सुविधाएं सृजित करें। अवसंरचना की सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता राज्य सरकार के बीज फॉर्मों, ऑयलफेड और राज्य बीज निगम से उपलब्ध होगी तथा बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए सीमित क्षेत्रों के लिए भी सहायता उपलबध होगी। एनएससी और एसएफसीआई भी इस सहायता को प्राप्त करने के पात्र होंगे।

क. इस सुविधा का प्रयोग फार्मों पर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने, जो कि नलकूप/बोरवेल प्रदान करके दी जाएगी, परंतु ऐसे कार्यों के लिए सुविधा

उपलब्ध नहीं होगी जैसे चेनलों की लाइनिंग, खेतों को समतल करना, खेत में बाड़ करना, कार्यालय बनाना इत्यादि। जबकि जल प्रवाह के लिए मोटर पंप इसमें शामिल होगा। बिजली के प्रसारों, लाइनों से बिजली लेने और ऊर्जा के लिए यह उपलब्ध नहीं है।

ख. पर्याप्त भंडारण की सुविधा सृजित करने के लिए भण्डार गोदामों को इस व्यवस्था के साथ निर्मित किया जाए कि जहां आवश्यक हो वहां नमी न लगने पाए। गोदामों का आकार तिलहन, दालों और मक्की फसलों के खेतों की उत्पादन क्षमता के अनुसार होंगे। अनाजों को उचित रूप से सुखाने और साफ करने के लिए थ्रेसिंग फर्सों का निर्माण करने की भी अनुमति होगी।

ग. अवसंरचनागत विकास के घटक के अंतर्गत कोई भी फार्म मशीनरी की अनुमति नहीं होगी। बीज ग्राम साइट पर गोदान के निर्माण पर इस घटक के अंतर्गत विचार किया जा सकता है।

घ. सिंचाई घटक को कुंओं/नलकूपों के निर्माण/गहरा करने में बिजली के मोटर, पंप सेट और फवारेदार प्रणाली लगाने की लागत में शामिल किया जाएगा।

ड. इस कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई सुविधा सृजित करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

च. इन सुविधाओं को विकसित करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की नवीनतम अनुमोदित दरों के अनुसार अनुमान और प्रस्ताव टीएमओपीएंडएम को भेजे जाएंगे। इस घटक को कृषि और सहकारिता विभाग की पूर्व और विशिष्ट अनुमोदन के बिना लागू नहीं किया जाएगा।

छ. भण्डारण/गोदाम विकास पर व्यय राज्यों और केन्द्र द्वारा 50-50 के आधार पर बांटा जाएगा। तथापि, एनएससी/एसएफसीआई को सहायता 100 प्रतिशत देना जारी रहेगा।

xi. बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए एनएससी/एसएफसीआई को सहायता

i. किसानों को प्रमाणित बीज उचित कीमतों पर आपूर्ति को बढ़ाने के लिए राज्यों के प्रयासों में सहायता करने के आशय से और उत्पादन और वितरण के नेटवर्क तथा उपलब्ध तकनीकी विशेषतज्ञता का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित के लिए आइसोपोम के अंतर्गत एनएससी और एसएफासीआई को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी:-

- फाउंडेशन बीज का उत्पादन
- प्रमाणिक बीज के उत्पादन के लिए ग्राम बीम कार्यक्रम आयोजित करना

- आइसोपोम जिलों में किसानों को राज-सहायता प्राप्त मूल्य पर प्रमाणिक बीजों का वितरण
- टीएमओपीएमएम द्वारा पहचान किए गए विशिष्ट रूप से जोर दिये जाने वाले क्षेत्रों में बीज के छोटी किटों का वितरण
- प्रजनक बीज उत्पादन की जांच और निगरानी के लिए एनएससी को सहायता
- प्रजनक, फाउंडेशन और प्रमाणिक बीज के उत्पादन के लिए एनएससी और एसएफसीआई को उनके बीज फार्मों में अवसंरचना विकास के लिए सहायता

क. उपर्युक्त गतिविधियों को कार्यान्वित करते हुए एसएफसीआई पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दिये गये दिशा-निर्देशों और इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित सहायता पद्धति का पालन करेंगे।

ख. फाउंडेशन बीज के उत्पादन के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार एनएससी और एसएफसीआई द्वारा उठाये गये प्रजनक बीज की लागत उन्हें टीएमओपीएंडएम द्वारा कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित प्रजनक बीज की समान दरों के अनुसार उन्हें प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ग. बीज की लागत के 30 प्रतिशत दर से या प्रति क्विंटल 800/- रुपये जो भी कम हो, की सहायता किसानों को आपूर्ति किए गए प्रमाणित बीजों के संबंध में आइसोपोम के अंतर्गत शामिल तिलहन, दलहन और मक्की के बीज के वितरण के लिए उपलब्ध होगी। यह वितरण एनएससी और एएफसीआई द्वारा अधिकृत फुटकर विक्रय केन्द्रों और विक्रेताओं के माध्यम से किया जाएगा। इसी तरह की सहायता बीज की लागत के 25 प्रतिशत की दर से 600/- रुपये प्रति क्विंटल तक, जो भी कम हो एनएससी और एफसीआई को वास्तविक रूप से लेबल किए गए तिलहन, दलहन और मक्की के बीजों के वितरण के लिए उपलब्ध होगी। यह सहायता क्रेश कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादित बीजों पर ही दी जाएगी। एनएससी और एसएफसीआई बीजों की फुटकर कीमत में प्रदत्त सहायता की सीमा तक कमी करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह लाभ पूरी तरह से किसानों को मिलता है, प्रत्येक बीज के पैकेज में निम्नलिखित अवश्य उल्लिखित होना चाहिए:-

  - बीज की फुटकर बाजार कीमत (राज-सहायता के बिना);
  - राज-सहायता की दर;
  - राज-सहायता के पश्चात् कुल फुटकर बाजार कीमत;

घ. राज सहायता प्राप्त प्रमाणित/टीएल बीज की केवल आइसोपोम जिलों में ही आपूर्ति की जाएगी।

ङ. तिलहन, दलहन और मक्की के बीज का उत्पादन और वितरण अध्याय 4 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएससी/एसएफसीआई/कृभको द्वारा एक वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी और अनुमोदन के लिए उसे समय से पहले टीएमओपी को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इन एजेंसियों द्वारा कार्यक्रम को प्रभाग द्वारा अनुमोदित के अनुसार शुरू किया जाएगा।

2.8.2 प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

i. राज्य कृषि विभाग द्वारा ब्लॉक प्रदर्शन

क. किसानों के खेतों में, उन उन्नत फसल उत्पादन की प्रौद्योगिकी दिखाने के लिए ब्लॉक प्रदर्शन कार्यक्रम 10वीं योजना के दौरान जारी रहेगा।

ख. इन प्रदर्शनों में विशिष्ट किस्मों की जांच करने के अलावा, तिलहनों, दालों और मक्की आधारित फसल प्रणाली, अंतर फसल इत्यादि के संबंध में उत्पादन प्रौद्योगिकियों और साधनों के उचित उपयोग के संबंध में भी जोर दिया जाए।

ग. स्थानीय स्थितियों और रुकावटों के आधार पर प्रत्येक प्रदर्शन के लिए जांच योग्य लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। विशिष्ट सिफारिशें, जो अनुसंधान और फ्रंटलाइन प्रदर्शनों से उत्पन्न होगी, उन्हें भी ब्लॉक प्रदर्शनों में शामिल किया जाए।

घ. प्रत्येक प्रदर्शन का आकार सीमित क्षेत्र में 5 हेक्टेयर होगा। सभी चयनित खेतों को एक दूसरे से सटा हुआ होना जरूरी नहीं है। यदि आवश्यक क्षेत्र एक ग्राम में उपलब्ध नहीं है तो समीप के गांव में खेतों को चुना जा सकता है।

ड.. पहाड़ों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रदर्शन का आकार छोटा (1 हेक्टेयर) हो सकता है।

च. लाभार्थियों की अधिकतम संख्या में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी को 1 हेक्टेयर से अधिक के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, इसे अधिकतम 0.2 हेक्टेयर तक प्रतिबंधित किया जा सकता है।

छ. किसानों के खेतों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए और बैंच मार्क डेटा को उत्पादन और उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि को दर्शाने के लिए रखा जाना चाहिए।

ज. लाभार्थियों की पहचान और प्रदर्शनों के लिए साधनों की स्थिति को बीज बोने के मौसम में समय से पहले किया जाना चाहिए।

झ. प्रदर्शन को जिलों में बारी-बारी से ब्लॉक जिला और लाभार्थी किसानों के खेतों को प्रतिवर्ष बदल-बदल कर आयोजित किया जाएगा।

ञ. प्रदर्शन वाले गांवो में भूखण्डों में प्रदर्शन के अतिरिक्त जो संलग्न भूखण्ड प्रदर्शन में शामिल हैं, उन्हें भी प्रदर्शन के निष्पादन भूखण्ड के मुकाबले नियंत्रित भूखण्ड के रूप में अध्ययन के दायरे में लाया जाए।

ट. नये किस्मों/संकर बीजों को इन प्रदर्शनों में आवश्यक रूप से शामिल किया जायेगा। केवल उपकिस्में/संकर बीज जिन्हें आईसीएआर/राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जांच के बाद जारी किया गया है या पहचान की गई है उन्हें इन प्रदर्शनों में शुरू किया जाए।

ठ. अधिसूचित किस्मों/संकर बीजों के मामले में केवल प्रमाणिक बीजों का प्रयोग किया जाए। बीज ग्राम कार्यक्रम/क्रेश कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक रूप से लेबलशुदा बीज का भी प्रयोग किया जा सकता है।

ड. आपूर्तित साधन की वास्तविक लागत के 50 प्रतिशत सीमा तक वित्तीय सहायता की पद्धति में दी गई फसलवार सीमा के अध्यधीन दी जा सकती है। किसानों द्वारा अपने संसाधनों से प्रयुक्त श्रम लागत, भूमि का किराया, राजस्व/सिंचाई प्रभार, साधन राज-सहायता की दृष्टि से नहीं लिये जा सकते हैं।

. सड़क पर एक बोर्ड लगाया जायेगा जिस पर ब्लॉक प्रदर्शन का पूरा ब्यौरा स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए। पंचायत स्तर पर ब्लॉक प्रदर्शन का एक रजिस्टर रखा जायेगा जिससे प्रौद्योगिकी के प्रसार में पंचायत को मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त, कुछ स्थानीय विज्ञापन भी विभिन्न माध्यमों से विज्ञापित किए जाने चाहिए।

ण. प्रदर्शनों को किसानों के प्रशिक्षण/फील्ड दिवसों से जोड़ा जायेगा जिसके लिए संबंधित घटक के अंतर्गत अलग से निधियां प्रदान की गई हैं।

त. विस्तार कार्यकर्ताओं को इन प्रदर्शनों की सघन पर्यवेक्षण करना चाहिए और किसानों को नियमित रूप से आवश्यक तकनीकी सलाह देनी चाहिए। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विकास केन्द्रों के स्थानीय शोध केद्रों/विस्तार केन्द्रों इत्यादि से वैज्ञानिकों को प्रदर्शनों और किसानों के प्रशिक्षण के आयोजन में शामिल किया जाना चाहिए।

थ. इनके परिणामों का विश्लेषण किया जायेगा और मूल्यांकन किया जायेगा तथा पर्चों के वितरण तथा अन्य व्यापार संचार मीडिया के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार किया जायेगा। प्रदर्शनों (जिलावार) की समेकित रिपोर्ट, प्राप्त परिणामों और उनके प्रभाव के संबंध में रिपोर्ट राज्य कृषि विभागों द्वारा डीओडी हैदराबाद, डीपीडी भोपाल और एसपीसी (मक्की), पीएमओपीएनएम और कृषि तथा सहकारिता विभाग को भेजी जायेगी। खरीफ मौसम की फसल के लिए रिपोर्ट फरवरी के प्रथम सप्ताह तक भेजी जा सकती है और रबी मौसम की फसल के

लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह तक भेजी जा सकती है। बाद की फसल मौसमों/वर्षों में प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन शुरू किया जाना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि प्रदर्शित की गई प्रौद्योगिकी उन गांवो के किसानों द्वारा अपनाई गई है या नहीं और पास के गांवों में प्रदर्शनों का कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं। यदि नहीं पड़ा है तो उसके कारण और बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए और अपनाया जाना चाहिए।

ii. **राज्य कृषि विभागों द्वारा मूंगफली में पॉलिथीन को छाद के रूप में रखने की प्रौद्योगिकी का ब्लॉक में प्रदर्शन**

क. मूंगफली में छादके रूप में पॉलिथीन शीट का प्रयोग करने से चीन में मूंगफली की पैदावार में 92.1% तक की वृद्धि होने की सूचना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए प्रारंभिक अनुसंधान परीक्षण से, जिसमें ब्रोड बेड और शिकन (बीबीएफ) को छादके रूप में 7-8 माइक्रोन पॉलिथीन शीट का उपयोग करने से मूंगफली की पैदावार 5.0-7.0 टन प्रति हेक्टेयर हुई जबकि बिना छादके भूखंडों में 2.6 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार हुई। इस वृद्धि के लिए मिट्टी के तापमान के प्रारंभिक वृद्धि, मिट्टी की नमी का बने रहने, मिट्टी की सूक्ष्म जीवाष्म की अधिक दक्षता, अधिक सूक्ष्मजलवायु, कम खरपतवार और कीट कम खींचने की घटनाएं जिम्मेदार हैं। सिंचाई के लिए पानी की बचत 40% तक हुई।

ख. तदनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सिफारिश की है कि मूंगफली में पॉलिथीन को छादके रूप में प्रौद्योगिकी (पीएमजी) को निम्नलिखित स्थितियों/राज्यों में किसानों द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रदर्शित किया जाएः

- उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में चावल परती अवशिष्ट नमी की स्थिति
- गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ग्रीष्मकालीन सिंचित की स्थिति
- पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कम तापमान के क्षेत्र
- तुगभद्रा परियोजना के अंतर्गत विशेषकर रबी/ग्रीष्म में कमान क्षेत्र जहां मूंगफली नवंबर के दौरान उगाई जाती है

ग. प्रत्येक प्रदर्शन का आकार एक हैक्टेयर होगा। ब्लॉक प्रदर्शन के लिए साधनों पर 50% राजसहायता के प्रावधान के अलावा 3000/- रु.प्रति हेक्टेयर भी पॉलिथीन छाद शीट के लिए दिए जाएंगे।

घ. केवल जैव अपक्षीण पोलीथीन छाद चादर को ही प्रदर्शनों के लिए प्रयोग किया जाएगा।

ङ. ब्लॉक प्रदर्शन के साथ पीएमजी प्रदर्शनों का समामेलन बेहतर प्रबंधन और किसानों पर प्रभाव डालने के लिए उचित है।

च. ब्लॉक प्रदर्शनों के लिए अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों को पीएमजी प्रदर्शनों के लिए भी अपनाया जाना चाहिए।

iii. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फ्रंटलाइन प्रदर्शन

फ्रंटलाइन प्रदर्शन लागू करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नोडल एजेंसी है। फ्रंटलाइन प्रदर्शन मे निम्नलिखित 4 उपघटक है:-

i.i **उत्पादन क्षमता संबंधी फ्रंटलाइन प्रदर्शन** किसानों के खेतों पर लघु स्तर पर (प्रदर्शन आकार 0.4 हे.) नवीनतम किस्मों, उन्नत प्रौद्योगिकी से विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत स्थान विशिष्ट बाधाओं को दूर करने के लिए प्रदर्शन करना है।

i.ii **उन्नत कृषि मशीनरी के संबंध में फ्रंटलाइन प्रदर्शन**

क) किसानों को उन्नत कार्यान्वयनों की प्रभावकारिता का प्रशिक्षण और प्रदर्शन ;

ख) गांव के कारीगरों और खास विशेषज्ञों के लिए उन्नत मशीनरी के प्रयोग, मरम्मत और रखरखाव इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित करना;

i.iii **विषय वोध कार्यक्रमों के संबंध में फ्रंटलाइन प्रदर्शनः** इसमें फसल प्रणाली, राइजोवियम टीका, सूक्ष्म और गौण पोषकों और संतुलित उर्वरक देने इत्यादि की प्रभावकारिता को दिखाना है।

i.iv **आईसीएआर द्वारा मूंगफली में पोलीथीन छाद प्रौद्योगिकी का फ्रंटलाइन प्रदर्शन (पीएमजी)**

आइसोपोम को अंतर्गत आइसीएआर द्वारा किसानो के खेतों में पीएमजी प्रौद्योगिकी में फ्रंटलाइन का तात्कालिक प्रदर्शन करने के लिए भी 8000- रु. प्रति हैक्टेयर तक की सहायता (0.4 हे. प्रति) का प्रावधान है (@ 3000- रु. प्रति हे. पॉलिथीन छाद की सहायता भी शामिल है)।

i.v. एएफसी लिमिटेड द्वारा फ्रंटलाइन प्रदर्शनों के कार्यान्वयन का सहवर्ती मूल्यांकन से पता चला है कि आयोजन करने वाली एजेंसियों (जोन के समन्वयक) और राज्य कृषि विभाग के बीच बातचीत और संपर्क कमजोर है और इसे सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है। अपने अपने राज्यों में प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए जिम्मेदार वैज्ञानिकों/क्षेत्रीय समन्वयक यूनिटों/अनुसंधान केन्द्रों/राज्य कृषि विश्वविद्यालय़ और उनके केन्द्रों/कृषि विकास केंद्रों के पतों की सूची परिशिष्ट – V में दी गई है।

i.vi. राज्य कृषि विभाग इन प्रदर्शनों को आयोजित करने, किसानो और विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए उनके साथ निकट संपर्क बनाए रखना चाहिए। इन प्रदर्शनो से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट सिफारिशों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और राज्य कृषि विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले बड़े प्रदर्शनों में इन पर जोर दिया जाना चाहिए। इसी तरह, राज्य कृषि विभाग

उन्नत कृषि कार्यान्वयनो, जिनका सफलतापूर्वक परीक्षण और प्रदर्शन किया जा चुका है, का बड़े पैमाने पर अपने कृषि उद्योग निगमो, ग्रामीण कारीगरों और अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन करने के लिए कदम उठाने की व्यवस्था भी कर सकता है।

iv. एकीकृत कीट प्रबन्धन का प्रदर्शन (कृषक फील्ड स्कूल)

क. पौधे के संरक्षण में रसायनों के व्यापक प्रयोग से बचने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है जिसमें कीटों की संख्या को आर्थिक सीमारेखा स्तर (ईटीएल) से नीचे रखने के लिए वैकल्पिक तकनीकें और विकल्प उपलब्ध हैं और रसायनों का प्रयोग करना कीटों को नियंत्रित करने के लिए अंतिम विकल्प है।

ख. एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन (आईपीएम) के लिए मौटे तौर पर कार्यनीति में निम्नलिखित शामिल है:-

- ऐसी किस्मो का प्रयोग करना जो कीट और रोगों के प्रति प्रतिरोधी/सहनशील हैं।
- खेती की परिपाटी जैंसे गर्मियों मे हल चलाना और चारे/फसल अवशेष को नष्ट करना; शुरू में ही कतर देना; उचित तैयारी और खेतों को समतल करना; समय पर बीज बोना, उचित फसल ज्यामिती; बीज शोधन; उचित मिट्टी, जल और पतवार प्रबन्धन; गैर होस्ट फसलों को बारी से लगाना, फसल को सही स्तर पर काटना और सही स्थिति में काटना, बोर्डर/अंतरफसल के रूप में फसलों को उगाना।
- कीट स्थिति और उनके प्राकृतिक शत्रुओं (कीड़ों, मकड़ियों, परभक्षियों, पैथेजीन), मौसम, खेती और खेत की स्थितियों की नियमित निगरानी करना फसल को बारी बारी से बदलने के निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। कीटों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए पीले चिपकने वाले जालों, फिरोमोल ट्रैप, लाइट ट्रैप को बढ़ावा देने की जरूरत है।
- अंडे, लार्वा और प्रौढ़ संख्या को एकत्रित और नष्ट करके मशीनी नियंत्रण; जेसे कीटों को फंसाने के लिए प्रकाशयुक्त जाले का प्रयोग करना क्योंकि ये कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं; अत्यंत अधिक कीट फैलने की स्थिति में खेतों के चारो ओर खाई खोदना, खेत की सीमा और प्रौधों की पंक्तियों के बीच हरियालीयुक्त जाले लगाना कतिपय कीटों को नष्ट करने में प्रभावी पाया गया है।
- प्राकृतिक रूप से होने वाले पराश्रृतों, परभक्षियों और पैथोजीनों को संरक्षित करके जैव नियंत्रण करना। कीटों को खाने वाली परभक्षी पक्षियों को नियंत्रित करने के लिए खेतों में पक्षियों के बैठने के टेक लगाए जा सकते हैं। कुछ जैव-एजेंट कुछ

प्रमुख कीटों के नियंत्रण के लिए उपलब्ध हैं। ये कीट विशिष्ट और अन्य वनस्पति और जीवों के लिए अघातक हैं।

- कीटनाशकों का प्रयोग जरूरत के आधार पर किया जाना चाहिए और अंतिम उपाय के रूप में ईटीएल पर आधारित होना चाहिए। नीम आधारित अनेक रसायन योग अब बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्हें इन फसलों में लगने वाले कतिपय कीटों के लिए प्रभावी पाया गया है। फिर भी, उन्हें खरीदने से पूर्व उनकी गुणवत्ता, प्रभावी सांध्रता, शेल्फकाल और प्रभावकारिता की जांच की जानी चाहिए।

V. आईपीएम प्रदर्शनों के लिए कृषक खेत स्कूल दृष्टिकोण हेड पूरे मौसम में समुदाय/समूह के लिए प्रशिक्षण और प्रेरणा जिसमें प्रदर्शन क्षेत्र में पूरे किसान समुदाय को शामिल किया जाए जो कि आईपीएम प्रौद्योगिकी की सफलता के लिए मुख्य है। कीट स्थिति की दिन प्रतिदिन की निगरानी के लिए कृषक समुदाय और प्रौद्योगिकी संसाधन व्यक्तियों तथा साधन एवं वित्तीय सहायता देने वाली एजेंसियों के बीच नियमित संप्रेषण होना जरूरी है। संपर्क व्यक्तियों को कृषि समुदाय में से ही नियुक्त करना चाहिए। इस संबंध में स्वैच्छिक संगठन बहुत उपयोगी भूमिका अदा कर सकते हैं।

VI. आईपीएम प्रदर्शन 10 हेक्टेयर के सीमित क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। सामान्य प्रदर्शनों के लिए दिए गए दिशानिर्देशों को क्षेत्र, लाभार्थियों के चयन के लिए पालन किया जाना चाहिए। तथापि, प्रदर्शित प्रौद्योगिकी के स्पष्ट परिणाम और स्पष्ट प्रभाव को देखने के लिए आईपीएम प्रदर्शनों को भी लगातार वर्षों के लिए उसी खेत में किया जा सकता है।

VII. एनपीवी के लिए सहायता @ 22680/- रुपये प्रति प्रदर्शन (22680/- रुपये का ब्यौरा परिशिष्ट III में दिया गया है) को कृषक फील्ड विद्यालय अवधारणा के रूप में किसानों के खेतों में आईपीएम प्रदर्शनों को करने के लिए आइसोपोम के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। इस सहायता में फीरोमोन जाले और कृतंक नियंत्रण भी शामिल होगा। इस सहायता का प्रयोग विभिन्न साधनों को उपलब्ध करने, किसानों और ग्राम स्काउट/समन्वयकों तथा विस्तार कामगारों के प्रशिक्षण के लिए, पोस्टरों, चार्टों, पर्चे, ऑडियो और वीडियो कैसटें जैसी सामग्री बनाने के लिए किया जा सकता है। किसानों और राज्य कृषि विभाग के बीच विभिन्न साधनों की लागत को बांटने के मानदंड को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति प्रदर्शन क्षेत्र में कृषक समुदाय और ऐसे प्रदर्शन में शामिल स्वयंसेवी संगठनों को कुछ प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकती है।

VIII. पौधों के विकास के विभिन्न चरणों में जैव-एजेंटों का प्रयोग

IX. चना और अरहर, सरसों, मूंगफली तथा सोयाबीन के लिए जैव एजेंटों के प्रयोग को यथासंस्तुत रूप में किया जा सकता है।

X. राज्य कृषि विभाग (एसडीए) अपने राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, अन्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शोध और विस्तार संस्थाओं, केन्द्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केन्द्रों और पादप संरक्षण संगरोध और भण्डारण निदेशालय की केन्द्रीय जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं के साथ परामर्श करके आईपीएम प्रदर्शनों के लिए कार्ययोजना तैयार कर सकते हैं। तैयार की गई कार्य योजनाओं की प्रतियों को टीएमओपीएंडएम को भी भेजा जा सकता है।

XI. विस्तान कार्यकर्त्ताओं को इन प्रदर्शनों का पर्यवेक्षण करना चाहिए और किसानों को नियमित रूप से तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। स्थानीय अनुसंधान केन्द्रों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार केन्द्रों, कृषि विकास केन्द्रों इत्यादि के वैज्ञानिकों को प्रदर्शन आयोजित करने और किसानों को प्रशिक्षण देने में भरपूर रूप से शामिल होना चाहिए।

XII. प्रदर्शन के परिणामों का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाएगा और पर्चों तथा अन्य व्यापक संचार माध्यमों से उनका व्यापक प्रचार किया जाएगा। आयोजित प्रदर्शन (जिला वार), प्राप्त परिणाम और उनके प्रभाव के संबंध में एक समेकित रिपोर्ट राज्य कृषि विभागों द्वारा टीएमओपीएंडएम तथा संबंधित निदेशक इत्यादि को भेजी जाएगी। खरीफ मौसम की फसल के लिए रिपोर्ट फरवरी के प्रथम सप्ताह में और रबी मौसम की फसल के लिए रिपोर्ट जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक भेजी जा सकती है। बाद की फसलसीजन/वर्षों में प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन को यह आंकने के लिए शुरू किया जा सकता है कि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का असर किस हद तक हुआ और किसान लाभार्थियों द्वारा कहां तक उसे अपनाया गया। यदि नहीं अपनाया गया तो, उसके कारणों का पता लगाया जाए और बाधाओं को दूर करने के उपायों का विश्लेषण करके उन्हें अपनाया जाए।

2.9 अन्य अवयव

2.9.1 पौध संरक्षण रसायन

पौध संरक्षण रसायनों/पतवार नाशकों के लिए सहायता रसायन की लागत के 50 प्रतिशत तक जो कि 500/- रुपये हेक्टेयर तक सीमित होगी, की व्यवस्था की गई है जिससे ईटीएल स्तरों से ऊपर कीटों और रोगों के प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके।

2.9.2 पौध संरक्षण उपकरण

इस योजना के तहत पौध संरक्षण उपकरणों के लिए सहायता उपकरणक ी लागत के @ 50 प्रतिशत तक, हाथ से चलाए जाने वाले प्रति उपकरण अधिकतम 800/- रुपये तक और बिजली से चलने वाले छिड़काव उपकरण और हैंड डस्टरों के लिए 2000/- रुपये प्रति उपकरण तक उपलब्ध है।

2.9.3 पतवार नाशक

राज्य द्वारा पहचान किए गए विशेष पतवारों के लिए जिला/क्षेत्रवार विशिष्ट क्षेत्रों में परीक्षण किए जाएंगे और तदनुसार अवयव अधिकतम पतवार (मोनोकोटायलेडोन/डिकोटायलेडोन) प्रवण क्षेत्रों के लिए लागू होगा। पतवार नाशकों के लिए सहायता रसायन की लागत के 50 प्रतिशत तक, या 500/- रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा, दी जाएगी।

2.9.4 न्यूक्लेयर पोलीहाइड्रोसिस वायरस (एनपीवी)

चने और अरहर में पोड बोरर (हेलीकोपर्वा आर्मीजेरा) के खतरे को रोकने के लिए प्रति हेक्टेयर @ 350 लीटर हेक्टेयर एनपीवी अरहर में छिड़कने के लिए और 250 लीटर प्रति हेक्टेयर चने में छिड़कने के लिए जिसे जीवन चक्र के प्रारंभिक चरण के दौरान 10-15 दिनों के अंतराल में छिड़का जाएगा, मिलेगा जिससे उत्पादन में क्रमश: 37 प्रतिशत और 24.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

2.9.5 एकीकृत पोषक प्रबंधन

किसान अधिकांशत/यूरिया का प्रयोग करते रहे हैं क्योंकि यह सबसे सस्ती उर्वरक है जो कि पत्तों को गिराने में मदद करता है जिससे कीट/कीड़ों की समस्या आ जाती है। इसलिए, अच्छी बीज की सेटिंग, अच्छे तेल और उसकी गुणवत्ता के लिए जैविक खाद के साथ संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना आवश्यक है। तथापि, गौण पोषकों जैसे कैल्सियम और सल्फर की मूंगफली की फसल में कमी, अन्य तिलहनों और दालों तथा मक्की में सल्फर की कमी और अन्य फसलों में सूक्ष्म पोषकों की कमी से भी उनकी उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी तरह, ऊपरी क्षेत्रो में तथा निचले क्षेत्रों में मिट्टी की अम्लीयता और जल भराव वाले क्षेत्र में मिट्टी का खारापन/क्षारीयता इन फसलों की उत्पादकता और पैदावार को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए, आईसोपोम के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण साधनों की आपूर्ति के लिए सहायता का प्रावधान किया गया है।

i. जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोल्माइट वितरण

क. जिप्सम/पाइराइट/रॉक फॉस्फेट महत्वपूर्ण गौण पोषकों के सबसे सस्ते स्रोत हैं। इसके प्रयोग से तिलहनों की फसलों में उत्पादकता और पैदावार तथा तेल की मात्रा एवं दालों और मक्की में पैदावार और गुणवत्ता बढ़ती है। जिप्सम के प्रयोग के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए जोर दिए जाने की जरूरत है क्योंकि किसान अधिकांश रूप से गैर-सल्फर वाले उर्वरकों जैसे डीएपी और मिश्रणों का प्रयोग करते हैं। किसानों को जिस्पम की आपूर्ति करने में परिवहन की ऊँची लागत को प्रमुख बाधा बताया गया है। इसलिए, परिवहन की लागत को पूरा करने के लिए 500/- रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता का प्रावधान किया गया है।

ख. यह देखा गया है कि अधिकांश राज्यों में जिप्सम की आपूर्ति अपर्याप्त है। इसलिए राज्य कृषि विभागों को जरूरत का समय पर आकलन करने, वितरण स्थानों पर

उनका भण्डार करने और इसके प्रयोग के लिए लोगों में अभियान तेज करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए।

ग. आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इत्यादि के ऊपरी क्षेत्रों में अम्लीय मिट्टी में चूना संबंधी एजेंटों जैसे डोलोमाइट/चूना के प्रयोग करने की सिफारिश की गई है जिससे उत्पादन में वृद्धि के लिए अम्लीय असर समाप्त हो सके। इसके प्रयोग के लिए 500/- रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता का प्रावधान किया गया है।

घ. तथापि, महाराष्ट्र के मामले में जिप्मस पर सहायता की दर 750/- रुपये प्रति हेक्टेयर होगी क्योंकि वहां राज्य में जिप्सम का कोई उत्पादन नहीं होता है और इसे जिप्सम को अन्य राज्यों से खरीदना पड़ता है जिससे वहां ऊँची परिवहन की लागत बैठ जाती है।

ii. राइजोबियन कल्चर और फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया (पीएसबी)

राइजोबियम फलीदार फसलों के उतपादन को बढ़ाने में सबसे सस्ता साधन है। बीज का कल्चर से उपचार करने पर इसके सहजैविक गतिविधि के माध्यम से वातावरणीय नाइट्रोजन संतुलित करने में मदद मिलती है। यह उपचार विशेषकर उन क्षेत्रों में लाभप्रद है जहां मूंगफली और सोयीबीन नई फसल के रूप में उगाया जाता है। फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया में फास्फोरस छोड़ने की क्षमता है और सभी फसलों के लिए सस्ते साधनों के रूप में संस्तुत किए जाते हैं। इससे लगभग फसलों के फास्फेटिक उर्वरक निवेश में 20 प्रतिशत कमी करने में मदद मिलती है। बीजों का इन कल्चरों से उपचार करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए:

क. कल्चर के स्रोत की विश्वसनीयता, जीवन काल (समाप्ति तारीख की जांच करें) और क्या इसके लिए बीआईएस विनिर्देशों इत्यादि की जरूरत है।

ख. कल्चर को परिवहन और भण्डारण के दौरान ताप और लाइट से अच्छी तरह सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

ग. इसे ऐसी जगहों पर नहीं रखा जाना चाहिए जो कीटनाशकों या उर्वरकों से प्रदूषित हो।

घ. फसल के प्रति विशिष्ट कल्चर स्ट्रेन।

ड. कल्चर उपचार उसी दिन या बोने के दिन से पहली रात को किया जाना चाहिए।

च. अधिकांश कीटनाशक कलचर के लिए जहरीले होते हैं। थीरम सबसे कम जहरीला फंगीसाइड है और डेल्ड्रीन सबसे कम जहरीला कीटनाशक है। यदि रसायनों का प्रयोग किया जाता है तो बीज को (कीटनाशी उपचार के बाद) दुगुनी और सामान्य मात्रा से कल्चर उपचार (गाद लेफ) किया जाना चाहिए। मूंगफली में, जहां कहीं

कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, वहां बीज-वपनीयता की सिफारिश की जाती है।

छ. राइजोबियम कल्चर से गाद-बेपन को सुपर-फास्फेट के साथ कभी नहीं मिलाया जाना चाहिए क्योंकि यह अम्लीय होता है तथा इससे बैक्टीरिया मरेंगें। पीएसबी के मामले में, अम्लीय या क्षारीय मिट्टी में उपचारित बीज कैल्सियम या जिप्सम के साथ लेपन के बाद बोया जा सकता है।

ज. राज्य कृषि विभाग को रिजोबियम तथा पीएसबी के कुछ प्रभावी स्ट्रेनों के उत्पादन और प्रसार के लिए भी कार्यवाही करनी चाहिए।

झ. पीएसबी को रिजोबियम के साथ मिलाया जाना चाहिए। जैव-उवैरक को बराबर मात्रा में मिलाया जाना चाहिए और उपर्युक्त के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। पीएसबी के प्रति अम्लीय मिट्टी में प्रतिक्रिया अच्छी है।

ञ. 50 प्रतिशत की सहायता, अधिकतम 50/- रुपये प्रति हेक्टेयर तक का किसानों को राइजोबियम/पीएसबी की आपूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

2.9.6 फवारे सेटों का वितरण

तिलहन, दलहन और मक्की की फसलें अधिकांशतौर पर वर्षा वाली स्थितियों में उगाई जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप इनकी मौसम की बदलती स्थितियों से प्रभावित होने की संभावना होती है। अधिकतम क्षेत्र को शामिल करने के लिए उपलब्ध जल के सही उपयोग/किफायती उपयोग के लिए और फसल के विकास के महत्त्वपूर्ण चरण में सिंचाई प्रदान करने के लिए सिंचाई को फवारेदार माध्यम को तिलहन फसलों में शुरू किया गया है। विषम भौगोलिक वातावरण में, जहां बहते हुए पानी से सिंचाई संभव नहीं है, यह पद्धति आदर्श है। इससे अनेक कीट/रोग नियंत्रित करने में भी सहायता मिलती है और पाले से होने वाले नुकसान को रोकने में भी कामयाब है। फवारेदार सेटों के लिए बढ़ती हुई मांग को देखते हुए वर्तमान वर्ष के लिए वित्तीय मानदंड परिवर्तित किए गए हैं। तदनुसार सहायता हेतु संशोधित दरें नीचे दी गई हैं:-

i. लागत का 50 प्रतिशत या 15,000/- रुपये जो भी कम हो, छोटे और मझौले किसानों, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला किसानों के लिए;

किसानों की अन्य श्रेणियों हेतु

ii. लागत का 33 प्रतिशत या 10,000/- रुपये जो भी कम हो,

iii. राज्यों को सहायता की दरें कम करने की स्वतंत्रता जैसे कि राजस्थान में अधिक किसानों को शामिल करने के लिए किया जा रहा है जिससे इस प्रणाली के अंतर्गत बड़े क्षेत्रों को लाया जा सके।

iv. फवारों के सेटों को विभिन्न अवयवों के लिए विहित भारतीय मानक ब्यूरो के नवीनतम मानकों के अनुसार कठोर गुणवत्ता नियंत्रण मानकों का पालन किया जाना चाहिए।

2.9.7 किसानों का प्रशिक्षण

i. किसानों को प्रौद्योगिकी के त्वरित अंतरण के लिए प्रशिक्षण एक प्रभावी साधन है। किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए आइसोपोम के अंतर्गत निधियां प्रति प्रशिक्षण 50 किसानों के प्रति बैच के लिए 15,000/- रुपये का प्रावधान किया गया है।

ii. राज्य इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदर्शन और बीज ग्राम कार्यक्रमों के साथ जोड़ सकते हैं। इन बीज संबंधी प्रशिक्षणों में, बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के प्रतिनिधि (रगिंग निरीक्षक) को अनिवार्य रूप से फील्ड दौरे के दौरान किसानों को व्याख्यान देने और उनके साथ चर्चा करने के लिए प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

iii. प्रत्येक जिले में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों की संख्या को विभिन्न मौसमों, क्षेत्र में तिलहन, दलहन और मक्की की फसलों तथा प्रौद्योगिकी से कृषि समुदाय को होने वाले लाभ के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

iv. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विकास केन्द्रों के अनुसंधान केन्द्रों के वैज्ञानिकों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रियता से शामिल किया जा सकता है। प्रसारित की जा रही उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के संबंध में क्षेत्रीय भाषा में किसानों को छपा हुआ साहित्य भी उपलब्ध किया जा सकता है।

v. यह सुनिश्चित करने के लिए किसान अपेक्षित संख्या में भाग लें, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों, आकाशवाणी, खेती संबंधी समाचारों और टी.वी. में अग्रिम प्रचार किया जाना चाहिए।

vi. राज्य कृषि विभाग तिनहनों, दलहनों और मक्की की फसलों के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विकास केन्द्रों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के साथ मिलकर इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकते हैं।

2.9.8 स्टाफ और फुटकर खर्चे

i. राज्यों को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी), राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एनपीडीपी) और त्वरित मक्की विकास कार्यक्रम (एएमडीपी) के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत विशेष स्टाफ हेतु वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा पहले नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और दसवीं योजनावधि के पहले दो वर्षों में जारी रहेगी। स्वीकृत पदों की संख्या में कोई नया पद नहीं जोड़ा जाएगा। जबकि आइसोपोम के अंतर्गत नए वाहनों की कोई खरीद अनुमत नहीं होगी, विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्ताओं के

अपने जाने में बाधा के दृष्टिगत राज्य फुटकर खर्चों के अंतर्गत जिले और फील्ड स्तर पर आइसोपोम के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए वाहनों की खरीद हेतु निधियां मांग सकते हैं।

ii. आइसोपोम फसलों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों/परियोजना निदेशकों के रूप में पहचान किए गए अधिकारी फील्ड लेबल की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने, निगरानी करने और टीएमओपी और उसके निदेशकों को मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट इत्यादि देने के लिए जिम्मेदार होंगे। नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक निगरानी टीम बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे जिसमें अवयव कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य को सौंपे गए फसल विकास निदेशालय से प्रतिनिधि होंगे।

iii. नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक आइसोपोम फसलों के संबंध में वार्षिक शोध कार्यशालाओं/सम्मेलन में राज्य का प्रतिनिधित्व भी करेंगे।

2.9.9 आइसोपोम का सहवर्ती मूल्यांकन

दसवीं योजना के अंत में, आइसोपोम योजना का प्रभाव मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा जिसका नामांकन विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ किया जाएगा।

2.9.10 नए घटक

i. जल स्रोत से पानी खेत में ले जाने के लिए पाइप

क. 'आइसोपोम' के अंतर्गत 75मिमी एचडीपीई पाइपों के वितरण के लिए प्रावधान एक स्थान से दूसरे स्थान सिंचाई के लिए पानी ले जाने हेतु विद्यमान फवारों के भाग के रूप में किया गया है जिससे ले जाने में हो रही क्षतियों को दूर किया जा सके जैसे कि कुछ राज्यों ने अनुरोध किया था।

ख. लाभार्थी को अधिकतम 210 मीटर लंबे (आईएस-2786-1989 या आईएस-14151-1 (1994), के 75 मिमी व्यास वाले प्रत्येक 6 मीटर के 75 नग) एचडीपीई पाइप प्रदान किए जाएंगे।

ग. सहायता की दर निम्नानुसार होंगी:-

- लागत का 50 प्रतिशत या 15,000/- रुपये जो भी कम हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और मझौले, महिला किसानों के लिए।
- अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 33 प्रतिशत या 10,000/- रुपये जो भी कम हो।

ii. अधिकारियों का प्रशिक्षण

क. फील्ड स्तर पर विस्तार प्रणाली में सुधार के लिए राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों/विस्तार कर्मचारियों, डीएमओपी मुख्यालय और तिलहन और दलहन

विकास निदेशालयों इत्यादि को आइसोपोम में शामिल किया गया है। लगभग 30 अधिकारियों को 2 दिनों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 16,000/- रुपये प्रति प्रशिक्षण की दर से कुल सहायता प्रदान की जाएगी।

ख. कार्यक्रम की विषय सामग्री, प्रशिक्षण का चयन आइसोपोम द्वारा अपने फसल विकास निदेशालयों (सीडीडी) कृषि और सहकारिता विभाग के विस्तार से किया जाएगा, जहां प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों इत्यादि में तिलहन, दलहन, मक्की और पॉम ऑयल की खेती/पीएचटी/ मूल्य वर्धन इत्यादि में आयोजित किया जाएगा।

iii. अधिकारियों का विदेश प्रशिक्षण

अधिकारियों के ज्ञान स्तर में सुधार करने के लिए और तिलहन तथा दलहन में विश्व में हो रहे नवीनतम विकास से रूबरू होने के लिए विदेशी दौरों और तिलहन, दलहन, मक्की और पॉम ऑयल की फसलों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने तथा विदेशों में किवास का अध्ययन करने इत्यादि के लिए दसवीं योजना अवधि में एकमुश्त राशि 2.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित होगी।

iv. प्रचार

क. किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच संपर्क स्थापित करने और किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकी के बारे में जल्दी जानकारी देने के उद्देश्य से आइसोपोम के अंतर्गत प्रचार कार्यक्रम को शामिल किया गया है जिसका 100 प्रतिशत वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके लिए हरेक राज्य को 2.00 लाख रुपए दिए जाएंगे।

ख. इस कार्यक्रम के अंतर्गत संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करना/स्थानीय भाषा में नवीनतम प्रौद्यागिकी पैकेजों का छापना और रेडियो तथा टी.वी. प्रसारण सहित प्रसार के अन्य माध्यमों के लिए अन्य प्रचार सामग्री के लिए प्रावधान किया जायेगा।

v. निजी क्षेत्र की भागादारी

क. विद्यमान साधनों की आपूर्ति प्रणाली और विस्तार को सुदृढ़ करने के लिए, जो सरकार और इन गतिविधियों में शामिल सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के आकार में कमी लाने के कारण गत कुछ वर्षों में कमजोर पड़ गई थी, और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु आइसोपोम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों, कृषक सोसाइटियों और आइसोपोम कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्वसहायता समूहों सहित निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए, विशेषकर निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए, व्यवस्था की गई है:-

- बीज उत्पादन

- विस्तार समर्थन
- फ्रंटलाइन और ब्लॉक प्रदर्शन, आईपीएम प्रदर्शन

ख. इस संबंध में प्रत्येक घटक के लिए आवंटन की 15 प्रतिशत की सीमा रखी गई है। इस सीमा को कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा बीच में समीक्षा करने के बाद बढ़ाया जा सकता है।

ग. राज्य सरकारों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समुचित एजेंसियों की पहचान कर सकते हैं और आइसोपोम के अनुमोदित कार्य दायरे के अंतर्गत उनके माध्यम से कार्यक्रम संचालित कर सकते हैं।

2.10 पॉम ऑयल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश

1. कार्यक्रम में केन्द्रीय/राज्य का अंश

इन कार्यक्रमों को भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में बांटने के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में ड्रिप सिंचाई कार्यक्रम शामिल नहीं हैं जिसके लिए भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच खर्च का अनुपात 90:10 के आधार पर होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली को लगाने की पूरी लागत केन्द्र द्वारा पूरी की जाएगी। प्रशिक्षण, जीनोटाइप की जाँच इत्यादि जेसे घटकों के लिए, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, पूरी निधियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घटक

निधियों का कम से कम 25 प्रतिशत लाभार्थी से संबंधित कार्यक्रमों अर्थात् पौधारोपण सामग्री जुलाई, प्रशिक्षण और ड्रिप सिंचाई जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों (17 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजातियों (8 प्रतिशत) के किसानों के उपयोग के लिए निर्धारित होंगी।

3. घटक-वार सहायता दर

- **पौधारोपण सामग्री के लिए सहायता:** किसान की पूरी भूजोत के लिए लागत का 75 प्रतिशत, 7,500/- रुपये प्रति हेक्टेयर की सीमा के साथ।
- **खेती की लागत के लिए सहायता:** किसी व्यक्तिगत कृषक के लिए 15 हेक्टेयर तक 15,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर की सीमा के साथ 4 वर्ष की बीजारोपाण अवधि के दौरान लागत का 50 प्रतिशत अनुज्ञेय है। यह राज्य दर राज्य उस विशिष्ट राज्य की भूमि सीमा अधिनियम के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। बीजारोपण अवधि के दौरान जुताई सहायता के चरण का उदाहरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**अधिकतम खेती राज-सहायता प्रति हेक्टेयर (रुपये)**

प्रथम वर्ष	4600
दूसरे वर्ष	3300
तीसरे वर्ष	3500
चौथे वर्ष	4100
कुल	**15500**

- **ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता :** छोटे, मझौले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को लागत का 50 प्रतिशत जो कि 7400/- रुपये से लेकर 9300/- रुपये की सीमा तक और अन्य श्रेणियों के किसानों के लिए लागत का 35 प्रतिशत जो कि 5200/- रुपये से लेकर 6500/- रुपये की सीमा तक होगी। सहायता अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी प्रदान की जाएगी।
- **प्रशिक्षण, विस्तार और प्रचार, स्थापना और स्टाफ एवं अन्य चालू घटक:** प्रशिक्षण, विस्तार और प्रचार, स्थापना और स्टाफ तथा अन्य चालू कार्यक्रमों जैसे बीजोद्यान, पत्ता विश्लेषण प्रयोगशाला, स्टाफ/अधिकारियों का प्रशिक्षण और जीनोटाइप का परीक्षण इतयादि के लिए आवश्यकतानुसार जरूरत आधारित समर्थन प्रदान किया जायेगा।
- **प्रदर्शन:** उस ब्लॉक में जहाँ नए पॉम ऑयल पौधारोपण 500 हेक्टेयर या उससे ऊपर जमीन पर शुरू किया जा रहा है, 20 प्रदर्शन प्रति हेक्टेयर शुरू किए जाएंगे जिसमें किसानों को खेती और प्रबंधन परिपाटियों, पौध संरक्षण उपायों और पॉम ऑयल की संभावित पैदावार के बारे में बताया जाएगा। पॉम ऑयल प्रदर्शनों के अंतर्गत पूरा व्यय अधिकतम 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर पौधारोपण सामग्री के लिए और 4-5 वर्षों की बीजारोपण अवधि के दौरान 30950/- प्रति हेक्टेयर खेती के लिए दिया जाएगा। शेष लागत यदि कोई हो तो जो पौधारोपण खेती पर खर्च की गई हो और अन्य व्ययों की पूर्ति या तो किसानों द्वारा या राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। प्रदर्शन भूखंडों को नए क्षेत्रों में शुरू किया जाना चाहिए जिससे नए किसानों को लाभ मिल सके। यदि 500 हेक्टेयर पौधारोपण के ब्लॉक उपलब्ध नहीं हैं तो प्रदर्शन की व्यवस्था क्षेत्र उपलब्धता और उपयुक्तता के दृष्टिगत कम क्षेत्र में की जा सकती है।
- **डीजल पंप सेटों के लिए सहायता:** 10,000/- रुपये प्रति सेट की अधिकतम सीमा के साथ लागत का 50 प्रतिशत कम से कम उन किसानों के लिए उपलबध होगी जो 3 हेक्टेयर और अधिक पर पॉम ऑयल का पौधारोपण करते हैं। अनुश्रेय सहायता की पद्धति डीजल पंप सेटों के स्थान के लिए कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य योजनाओं के अनुसार होंगी।

- **बंजरभूमि का विकास:** किसानों के स्वामित्वधीन या सरकारी भूमि/राज्य और केन्द्र सरकार के निगमों के स्वामित्वाधीन बंजर भूमि या सहकारी संस्थाओं की बंजर भूमि के विकास के लिए 15 प्रतिशत निधि उपलब्ध होगी। इस निधि में बंजरभूमि के विकास के लिए अवसंरचनागत सिंचाई सुविधाएं सृजित करने के लिए 15 प्रतिात, 25 प्रतिशत निधियां प्रदान की जाएंगी।

पॉम आयल कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

1. राज्य सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की शेष अवधि के दौरान ओपीडीपी के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन जारी करेगी। ऐसा करते हुए वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च न की गई निधियों (केन्द्रीय अंश) सहित निधियों की कुल उपलब्धता का ध्यान में रखेगा।

2. राज्य स्तरीय प्रशासनिक अनुमोदन की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही के लिए इस विभाग को भेजी जाए। राज्य स्तरीय प्रशासनिक अनुमोदन के अभाव में, विभाग और निधियां जारी नहीं कर पाएगा।

3. पॉम ऑयल के तहत निधियों के कुल उपयोग का कम से कम 70% क्षेत्र विस्तार गतिविधियों और ड्रिप सिंचाई यानी कि, रोपण पौध को उगाने, रोपण सामग्री, खेती आदानों और ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए किसानों के सहायतार्थ दी जाएगी।

4. स्थापना और स्टाफ पर व्यय कुल व्यय का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। उपरोक्त प्रयोजनार्थ व्यय का अर्थ वर्ष के दौरान वास्तविक खर्च अभिप्रेत है। उन राज्यों, जिनका वार्षिक आवंटन 1.00 करोड़ (राज्य के अंश सहित) से भी कम है, उनका 'व्यय और स्टाफ' पर व्यय उनके किल व्यय का 15 प्रतिशत होगा। यदि स्थापना और स्टाफ पर व्यय को इन सीमाओं के अंतर्गत कायम नहीं किया जा सकता है और इस संबंध में अस्थायी छूट पर कार्यक्रम के हित में विचार किया जा सकता है, परंतु इससे पहले एक प्रस्ताव पूर्व अनुमोदन के लिए टीएमओपी को भेजा जाएगा।

5. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में बीजोद्यान के रखरखाव, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पत्ती विश्लेषण प्रयोगशाला, भीमनकोली में फ्रंटलाइन प्रदर्शन और एनआरसी-ऑयल पॉम की उप स्कीम पर व्यय को जरूरत के अनुसार पूरा किया जाएगा परन्तु केवल उन्हीं मदों पर जिनके लिए इन स्कीमों के अंतर्गत व्यय अनुमोदित किया गया है।

6. केन्द्रीय आवंटन राज्य सरकार/संगठन के प्रस्ताव पर पहले से ही उपलब्ध निधियों के उपयोग में हुई प्रगति के आधार पर जारी किया जएगा। आवंटन प्रस्ताव टीएमओपीएंडएम को तब यथाशीर्घ भेजे जानेचाहिए जैसे ही खर्च न की

गई।उपलब्ध निधियां अगले तीन माह के दौरान ओपीडीपी के कार्यान्वयन के लिए निधियों की अनुमानित जरूरत से कम हो जाती है।

7. उन राज्यों के मामले में, जो अपने आवंटनों या अपने आवंअन के हिस्से को उपयोग में धीमी प्रगति और अपनी अनुमानित जरूरत का दावा करने में विफल होते हैं, उनके लिए शेष आवंटन को बचतों के रूप में समझा जाएगा। इन बचतों को राज्यों को पुन: आवंटित किया जाएगा, जो स्कीम के अच्छी प्रगति के आधार पर अतिरिक्त आवंटन की मांग करते हैं।

8. पॉम ऑयल कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारें, राज्य के बागवानी/कृषि मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना प्रबंधन समिति (पीएमसी) का गठन करेगी। पॉम ऑयल आयुक्त राज्य सरकार द्वारा अलग से पदनामित किया जाएगा, जो कि राज्य में पॉम ऑयल के विकास का कार्य देखेगा। पॉम ऑयल आयुक्त कीमत निर्धारण समिति की अध्यक्षता भी करेगा जिसका गठन राज्य में समय-समय पर पॉम ऑयल (एफएफबी) की कीमतों के निर्धारण के लिए किया जाएगा।

9. राज्यों की परियोजना प्रबंधन समिति (पीएमसी) को स्टाफ की नियुक्ति में सहायता देने, दिशा-निर्देश बनाने और निविदाएं इत्यादि स्वीकार करने सहित व्यय की स्वीकृति सहित पूरी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां होंगी।

10. कार्यान्वयन एजेंसियां/राज्य सरकारें उनके पास उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि के संबंध में सूचना (केन्द्र के और राज्य के अलग) प्रत्येक माह और प्रत्येक वर्ष के अंत में टीएमओपीएंडएम को भेजेगी।

11. खर्च न की गई शेष राशि को पुन: वैध करने पर संबंधित राज्य सरकार से इस संबंध में विशिष्ट प्रस्ताव निधियों के खर्च न किए जाने संबंधी कारणों का उल्लेख और यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपायों का उल्लेख होगा कि शेष खर्च न की गई निधियों का उपयोग किया जाएगा।

12. राज्यों को कोई नवीन उपाय या कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करने के लिए, जो कि वित्तीय आवंटन के 10 प्रतिशत तक हो, की छूट दी जायेगी।

13. 20 प्रतिशत कि निधियों को गैर बीज कार्यक्रमों के लिए अंतर घटक विपथन की छूट दी जाएगी।

14. बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजना एक जांच समिति द्वारा इस विभाग में विचार और अनुमोदन किया जाएगा। इस समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

    1. विशेष सचिव/अपर सचिव

प्रभारी (टीएमओपीएंडएम) - अध्यक्ष

2. संयुक्त सचिव (टीएमओपीएंडएम) - सदस्य सचिव

3. निदेशक (टीएमओपीएंडएम) - सदस्य

4. वरिष्ठ विश्लेषक/तकनीकी अधिकारी - सदस्य

5. राज्य सरकार के प्रतिनिधि - सदस्य

15. राज्य सरकार द्वारा तेयार किए गए परियोजना प्रस्ताव अनुमोदन के लिए टीएमओपीएंडएम को भेजे जाएंगे। उपर्युक्त घटक के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय अंश को तब ही जारी किया जाएगा जब परियोजना को उपर्युक्त जाँच समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

16. परियोजना की निगरानी और समय-समय पर वास्तविक और वित्तीय प्रगति भेजने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बंजर भूमि विकास स्कीम को राज्य सरकार की अन्य सिंचाई योजनाओं के साथ एकीकृत करने/मिलाने के संबंध में राज्य सरकारों को संभावना तलाशनी चाहिए ताकि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के तहत प्रदान की जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सिंचाई सुविधाओं को सृजित किया जा सके।

2.11 आइसोपोम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उपयोजना

जैसे कि विद्यमान योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव किया गया है, छोटे और मझोले किसानों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला कृषकों को, जो तिलहनों, दलहनों, मक्की और पॉम ऑयल की खेती में लगे हुए हैं, आइसोपोम के तहत भी लाभ और समर्थन प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि राज्यों द्वारा किसानों को दिए जाने वाली साधनों की आपूर्ति और समर्थन सेवाओं के लिए तथा फ्रंटलाइन प्रदर्शनों के लिए भी परिव्यय का 22.5 प्रतिशत दिया जाएगा ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लाभ मिल सके।

2.12 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुबंधित शोध

आइसोपोम के तहत बीज घटक के लिए आवंटन की 5 प्रतिशत राशि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को विशेषकर मूंगफली, सोयाबीन, राई और सरसों की सूखा प्रतिरोधक किस्मों के विकास के लिए अनुबंधित शोध करने के लिए आवंटित की जाएगी। इन फसलों की खेती को बाधित करने वाली विशिष्ट नई समस्याओं को भी आईसीएआर द्वारा अध्ययन शुरू करने के लिए इस घटक के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकारों द्वारा सुझायी जा सकती है।

3. राज्य की वार्षिक कार्य योजनाएं

3.1 इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट परियोजना दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। प्रत्येक परियोजना की एक समय सीमा, बजट और स्पष्ट परिभाषित लक्ष्य होने चाहिए। परियोजना को वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों का उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

3.2 उत्पादन को सुचारू करने और फसल को संवर्धित करने के लिए - विविधीकरण और महत्वकांक्षी लक्षित उत्पादन भी प्राप्त करने के लिए राज्यों को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो कि कार्यक्रम के परम्परागत कार्यान्वयन से हटकर है।

3.3 राज्य की कार्ययोजना में निम्नलिखित विस्तृत सूचना शामिल की जानी चाहिए:-

i. राज्य में फसलवार तिलहनों, दलहनों, पॉम ऑयल और मक्की की वर्तमान स्थिति का महत्वपूर्ण विश्लेषण

ii. राज्य में तिलहनों, दलहनों, पॉम ऑयल और मक्की के फसलवार संवर्धन के लिए क्षमता

iii. क्षमता के दृष्टिगत, इन वस्तुओं के क्षेत्र कवरेज, उत्पादन और पैदावार के फसलवार लक्ष्य

iv. राज्य सरकारों द्वारा इन फसलवार लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों और उत्पादन तकनीकों का ब्यौरा

v. संसाधन/साधनों का मूल्यांकन और जरूरत का अनुमान

vi. आइसोपोम के अंतर्गत अवयव-वार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य पूर्ण औचित्य के साथ

vii. अनुमानित लक्ष्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले नए कार्य

viii. क्षेत्र और घटक जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित की गई है

ix. कार्यक्रम को सीमित क्षेत्र दृष्टिकोण के परियोजना दृष्टिकोण आधार पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए और संसाधनों के कम प्रसार से बचना चाहिए।

3.4 कार्य योजना में प्रत्येक कृषि-पारिस्थितिकीय और फसल स्थिति के लिए निम्नलिखित महत्व के क्षेत्रों के संबंध में संभावनाओं और लक्ष्यों को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ओर उनकी मात्रा दी जानी चाहिए।

क. निम्नलिखित के माध्यम से क्षेत्र विस्तार

- फसल विविधीकरण, फसल सघनता में तीव्रता, बारी-बारी से फसल उगाना, फसलों के बीच में फसल उगाना

- तिलहनों, दलहनों और मक्की के बीच अंतर फसल समायोजन जो कि उनके तुलनात्मक आर्थिक लाभ और लगातार कम उतपादकता वाले क्षेत्रों को अन्य फसल/फसल प्रणालियों में बदलना जिससे अधिक लाभ हो सके, पारिस्थितिकी प्रणाली के साथ चले और उसके अनुकूल हो।
- सिंचित क्षेत्रों में उच्च पानी की जरूरत वाली फसलों से कम पानी की जरूरत वाली फसलों के माध्यम से फसलों का विस्तारा
- उन्नत सिंचाई विविधयों और उपस्करों को अपनाना।

ख. उत्पादकता वृद्धि

उन्नत कृषि परिपाटियों को अपनाकर, प्रत्येक कृषि पारिस्थितिकी/फसल स्थिति के लिए प्रमुख क्षेत्रों और किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकीय और उत्पादकता अंतर तथा अपनाई जाने वाली उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों की पहचान करके उत्पादकता में वृद्धि करना।

3.5 अन्य विकास कार्यक्रम के साथ मिलाना

कार्य योजना में निम्नलिखित योजनाओं जो केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित की गई है और राज्यों में कृषि के सूक्ष्म प्रबंधन के अंतर्गत कार्यक्रमों को मिलाने को भी सुनिश्चित किया जा सकता है जिससे आइसोपोम के अंतर्गत फसल का विकास पूरा हो सके।

क. लवणीय/क्षारीय मिट्टी सुधार कार्यक्रम

ख. नदी घाटी और बाढ़ प्रवण नदी क्षेत्र कार्यक्रम

ग. एकीकृत पोषक प्रबंधन और जैस खेती, मृदा परीक्षण, वायो-गैस इत्यादि

3.6 अन्य ब्यौरे

1) वर्तमान किस्मों और उनकी पैदावार स्तर की स्थिति अन्य किस्मों/संकर बीजों को शुरू करना और पैदावार तथा उत्पादन की दृष्टि से उनका लाभ देखते हुए किस्मों का प्रतिस्थापन

2) लक्ष्यित किस्मों और बीज प्रतिस्थापन को प्राप्त करने के लिए बीज उत्पादन और आपूर्ति योजनाएं

3) बीज उत्पादन और आपूर्ति प्रणाली में सुधार करने के लिए उपाय

4) जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों और इनपुट समर्थन के लिए;
   - एकीकृत पोषक प्रबंधन
   - एकीकृत कीट प्रबंधन, महत्वपूर्ण कीटों, रोगों, खरपतवार और उत्पादन पर उनके प्रभाव की पहचान करना

- प्रदर्शनों, किसानों और विस्तार कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रचार (टीवी, रेडियो इत्यादि लोक मीडिया के माध्यम से अभियान सहित) के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण

5) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पहचान की गई एजेंसियां तथा उन्हें सौंपे गए उत्तरदायित्व और निर्धारित लक्ष्य

6) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों इत्यादि को शामिल करना, उनके लिए निर्धारित विशिष्ट कार्यकलाप एवं लक्ष्य, उन्हें वित्तीय समर्थन और विहित अनुबंधनात्मक दायित्वों को प्रदान करने की प्रक्रियाएं

7) विशिष्टि जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए प्रायोगिक परियोजना भी तैयार की जा सकती है जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों को शामिल किया जा सकता है, ये क्षेत्र निम्नलिखित हो सकते हैं:

   क) एचपीएस मूंगफली, कुस्कुटा मुक्त रामतिल, मिठाई बनाने वाले तिलों की गुणवत्ता, सूरजमुखी, निर्यात और घरेलू खपत के लिए मूंगफली;

   ख) बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉप कॉर्न, उच्च प्रोटीनयुक्त मक्की, उच्च स्टार्चयुक्त और अधिक तेलयुक्त मक्की इत्यादि का उत्पादन;

   ग) नए क्षेत्रों में विशिष्ट तिलहन, दलहनों और मक्की की फसलों का विस्तार;

   घ) विशिष्ट फसल विविधीकरण कार्यक्रम इत्यादि

   ड.) किसानों को सशक्त बनाने के लिए संपर्क केन्द्र और समर्थनकारी प्रणालियां, अनुबंधनात्मक सहायता, सलाह, निजी क्षेत्र की भागीदारी कृषि क्लीनिक, कृषि-व्यापार केन्द्र, कृषि विकास केन्द्र, विस्तार के लिए कम्प्यूटर नेटवर्किंग का विकास।

8) **मानव संसाधन विकास कार्यक्रम:** कृषि उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी सहित विभिन्न हित धारकों का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन।

9) **सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करना:** कम्प्यूटर नेटवर्किंग और इसके अनुप्रयोग को फसल उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, उपयोग इत्यादि के विभिन्न पहुओं के संबंध में सूचना के प्रसार, जिसमें डोसनेट और कृषि मंत्रालय के इसी प्रकार की अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

3.7 पंचायतों की सहभागिता

राज्य निचले स्तर पर कार्यक्रम के बनाने और उसके कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों की सहभागिता के लिए एक प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

3.8 निगरानी

क. राष्ट्रीय स्तर पर

i. दसवीं योजना के दौरान कार्यक्रम की गहन निगरानी की जाएगी। राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे आईसीएआर, एनएससी एसएफसीआई इत्यादि के साथ छमाही समीक्षाएं कृषि और सहकारिता विभाग/टीएमओपीएंडएम द्वारा की जाएगी जिसमें योजना आयोग के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जाएगा। अर्धवार्षिक समीक्षाएं खरीफ और रवि मौसम की फसलों के लिए कृषि उत्पादन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन से पूर्व की जाएगी।

ii. इसके अतिरिक्त, टीएमओपीएंडएम आइसोपोम के कार्यान्वयन में आ रही विशिष्ट समस्याओं को हल करने हेतु भी समीक्षा को लिया जा सकता है। इसी तरह, यह विकास निदेशालयों/विशेषज्ञों को भी आइसोपोम की विशिष्ट समस्याओं/कार्यान्वयन पहलुओं के समाधान और निगरानी के लिए विशिष्ट निगरानी टीम गठित करने के लिए लिया जा सकता है।

iii. राज्यों में आइसोपोम के कार्यान्वयन के लिए फील्ड निगरानी टीम भी इसके फसल विकास निदेशालयों द्वारा उन्हें सौंपे गए राज्यों में गठित की जा सकती हैं।

ख. राज्य स्तर

i. अतीत के अनुभवों से पता चला है कि अधिकांश राज्य सरकारें समय पर अपने राज्य के समान योजना की निधि स्वीकृत न करने के अलावा भारत सरकार की आवंटित/जारी की गई निधियों को रोक कर रखते हैं। प्रत्येक बुआई के मौसम से पहले राज्य द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब/जारी न करने के कारण कार्यक्रम के कार्यान्वयन बाधित होता है। इसलिए राज्य समय पर स्वीकृति को सुनिश्चित करेंगे। बजट में असाधारण विलंब/उपयोग न किए जाने से देय किश्तें समय पर जारी नहीं की जा सकती हैं और उन्हें अच्छा निष्पादन करने वाले राज्यों को दिया जा सकता है।

ii. राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) का गठन, उसकी बैठक आयोजित करना और कार्यवृत्त को टीएमओपी और संबंधित निदेशालय को भेजना आइसोपोम राज्यों के लिए आवश्यक होगा। एसएलएससी की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी, एक खरीफ फसल के शुरू होने से पहले और दूसरी रवि फसल से पहले। इस बैठक में भाग लेने, चर्चा करने के लिए भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग के वस्तु विकास निदेशालय (सीडीसी) के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जायेगा।

iii. व्यवस्थित और परिणामोन्मुखी (सहवर्ती/मासिक निगरानी) इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं। राज्य कृषि विभागों द्वारा इस संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्ट टीएमओपी मुख्यालय और संबंधित निदेशालय को भेजी जायेगी।

परियोजना निदेशक/जेडीए परियोजना उपबंध के अंतर्गत डीओडी हैदराबाद/डीपीडी भोपाल को नियमित रूप से साप्ताहिक फसल परिदृश्य साप्ताहिक मौसम जाँच रिपोर्ट के लिए भेजेंगे।

4. बीज उत्पादन और बीज वितरण के लिए दिशा-निर्देश

आइसोपोम के अंतर्गत दालों और तिलहनों की फाउंडेशन/प्रमाणित बीजों के उत्पादन और प्रमाणित बीजों के वितरण पर राज-सहायता प्रदान की जाती है जिससे किसानों को उचित दर पर उन्नत बीजों की किश्त उपलब्ध हो सके। इसके अलावा तिलहन और दालों की नयी जारी की गई किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए बीज के छोटे किटों का वितरण शुरू किया गया है जिसकी लागत 100 प्रतिशत कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा वहन की जाती है। एनएससी, एनएफसीआई, कृभको इत्यादि द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बीज वितरण की छोटी किटों के लिए एनएससी और एसएफसीआई नोडल एजेंसियां हैं। इन घटकों के कार्यान्वयन को सुचारू बनाने और उनकी प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं:-

i) फाउंडेशन/बीज उत्पादक एजेंसियां प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 मार्च तक उनके द्वारा शुरू किए गए उत्पादन कार्यक्रमों के लिए एक वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगी।

ii) वार्षिक कार्ययोजना में निम्न एजेंसियों के पास उपलब्ध संसाधन और विभिन्न बीज की किस्मों के संबंध में फसलवार फाउंडेशन/प्रमाणिक बीजों के उत्पादन के लिए किए गए प्रबंधों का ब्यौरा होगा।

iii) वार्षिक कार्ययोजना प्राप्त होने पर टीएमओपी प्रभार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न फसल/किस्मों के बीजों की मांग को देखते हुए प्रस्तावों की जाँच करेगा। टीएमओपी प्रभाग नयी जारी की गई किस्मों, यदि कोई हो को भी बीज उत्पादन कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए उल्लेख करेगा।

iv) वार्षिक कार्ययोजना को प्रति वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल तक इस प्रभाग द्वारा संशोधनों सहित, यदि कोई हो, अनुमोदित किया जायेगा।

v) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की इस प्रभाग द्वारा समय-समय पर उत्पादन मौसम के दौरान समीक्षा की जायेगी और कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए प्रभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से परीक्षण जाँच की जायेगी।

vi) एनएससी और एसएफसीआई बीज के उत्पादन और वितरण के लिए पंचवर्षीय आवर्ती योजना बनायेगी जिसमें प्रतिवर्ष के लिए फसल और किस्मवार कार्यक्रम का उल्लेख किया जायेगा जिसे आइसोपोम राज्यों, आईसीएआर, ईएमओपी इत्यादि के परामर्श से तैयार किया जायेगा।

vii) आवर्ती योजना के आधार पर विस्तृत वार्षिक उत्पादन और वितरण योजनाएं प्रतिवर्ष विभिन्न फसलों के लिए तैयार की जायेंगी जिसमें फसल, किस्म, राज्य और स्थानवार उत्पादन और राज्य तथा जिलावार वितरण कार्यक्रम का उल्लेख होगा। वार्षिक कार्ययोजना में इन एजेंसियों के पास उपलब्ध संसाधनों के बारे में भी ब्यौरा होगा।

viii) एनएससी और एसएफसीआई, जो बीज की छोटी किटों के वितरण के लिए नोडल एजेंसियां हैं, समय से पूर्व वितरण के विस्तृत कार्यक्रम प्रभाग को भेजेंगे।

ix) राज्य सरकारें बीज की छोटी किटों को घने समूह में लाभार्थियों को वितरित करेंगे। इससे कार्यक्रमों के प्रभावी निगरानी में मदद मिलेगी। बीज की छोटी किटों के वितरण का परीक्षण जाँच विभाग, इसके फसल विकास निदेशालय और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

x) एनएससी, एसएफसीआई प्रत्येक सीजन के शुरू में प्रत्येक राज्य के लिए अपने फसल और किस्मवार प्रमाणिक/टीएल बीज वितरण कार्यक्रम, जिसके लिए वे राज-सहायता का दावा कर रहे हैं, को अपने सैल नेट वर्क के माध्यम से भी टीएमओपी प्रभाग को और अपने फसल विकास निदेशालय को भी उन्हें सौंपे गये राज्यों में सरसरी जाँच के लिए सूचित करेंगे।

xi) बीज की छोटी किटों को सौंपने संबंधी चालान को समन्वित राज्य सरकार के कृषि निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

परिशिष्ट-I

तिलहन, दलहन और मक्की के लिए आइसोपोम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की पद्धति

घटक	व्यय की मद	कार्यान्वयन एजेंसी	सहायता की पद्धति	व्यय का अंश % में	
				केन्द्रीय	राज्य
1. बीज i. तिलहन, दलहन और मक्की के प्रजनक बीज का उत्पादन। ii. तिलहन, दलहन और मक्की के प्रजनक बीज की खरीद।	राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थानों/एसएससी इत्यादि के माध्यम से प्रजनक बीज पैदा करने के लिए आईसीएआर द्वारा उत्पादित प्रजनक बीज की खरीद के लिए	नोडल एजेंसी के रूप में आईसीएआर i. राज्य कृषि विश्वविद्यालय ii. एनएससी/एसएफसीआई	124 पदों के लिए 175 लाख रुपये प्रतिवर्ष बीज प्रभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान दरों के अनुसार पूरी लागत - तदेव -	100 75 100	- 25 -
iii. तिलहन, दलहन और मक्की के फाउंडेशन बीज का उत्पादन।	एसएससी/ऑयलफेड इत्यादि के माध्यम से प्रजनक बीज को फाउंडेशन बीज में प्रसारित करने के लिए	i. एसडीए ii. एनएससी/एसएफसीआई	500/- रुपये प्रति क्विंटल - तदेव -	75 100	25 -
iv. तिलहन, दलहन और मक्की के प्रमाणित बीज का उत्पादन। (बीज ग्राम योजना)	एसएससी ऑयलफेड इत्यादि के माध्यम से किसानों के खेतों में चुनिंदा गांवों में प्रमाणित बीजों के उत्पादन को संचालित करने के लिए	i. एसडीए ii. एनएससी/एसएफसीआई	500/- रुपये प्रति क्विंटल - तदेव -	75 100	25 -
v. तिलहन, दलहन और मक्की के गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए क्रेश कार्यक्रम।	बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने के लिए किसानों को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करने के लिए	एनएससी/एसएफसीआई	i. गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए सहायता 500/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से जैसे कि बीज ग्राम योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया है।	100	-

			ii. गुणवत्तापूर्ण बीज के वितरण के लिए सहायता बीज की प्रति क्विंटल लागत की 25 प्रतिशत की दर से या 600 रुपये, जो भी कम हो।		
vi. तिलहन, दलहन और मक्की के प्रमाणित बीजों का वितरण।	बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने के लिए राज-सहायता प्राप्त कीमतों पर किसानों को प्रमाणित बीजों की आपूर्ति करने के लिए	i. एसडीए ii. एनएससी/एसएफसीआई	सभी फसलों के लिए प्रमाणित बीजों की लागत का 30 प्रतिशत या 800/- रुपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो। ii. सभी फसलों के लिए वास्तविक रूप से लेबल लगे बीज की लागत का 25 प्रतिशत या 600/- रुपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।	(एसडीए) 75 (एनएससी/ एसएफसीआई) 100	25 -
vii. छोटी किटों का वितरण (उपकिस्मों में विविधीकरण)	किसानों को राज्य कृषि विभाग के माध्यम से एनएससी/एसएफसीआई द्वारा नये उन्नत किस्मों/संकर बीजों की छोटी किटों की आपूर्ति के लिए	एनएससी/एसएफसीआई	किसानों के लिए मुफ्त	100	-
viii. अवसंरचना विकास	सिंचाई सुविधाओं के विकास और बीज फार्मों में थ्रेसिंग फर्श तथा तिलहन, दलहन और मक्की के बीज के लिए बीज फार्म और भण्डारण गोदामों का विकास करने के लिए।	एसडीए ii. एनएससी/एसएफसीआई	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी दरों के अनुसार वास्तविक लागत - तदेव -	50 100	50 -

परिशिष्ट-I

तिलहन, दलहन और मक्की के लिए आइसोपोम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की पद्धति

घटक	व्यय की मद	कार्यान्वयन एजेंसी	सहायता की पद्धति	व्यय का अंश % में	
				केन्द्रीय	राज्य
1. बीज i. तिलहन, दलहन और मक्की के प्रजनक बीज का उत्पादन। ii. तिलहन, दलहन और मक्की के प्रजनक बीज की खरीद।	राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थानों/एसएससी इत्यादि के माध्यम से प्रजनक बीज पैदा करने के लिए आईसीएआर द्वारा उत्पादित प्रजनक बीज की खरीद के लिए	नोडल एजेंसी के रूप में आईसीएआर i. राज्य कृषि विश्वविद्यालय ii. एनएससी/एसएफसीआई	124 पदों के लिए 175 लाख रुपये प्रतिवर्ष बीज प्रभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान दरों के अनुसार पूरी लागत - तदेव -	100 75 100	- 25 -
iii. तिलहन, दलहन और मक्की के फाउंडेशन बीज का उत्पादन।	एसएससी/ऑयलफेड इत्यादि के माध्यम से प्रजनक बीज को फाउंडेशन बीज में प्रसारित करने के लिए	i. एसडीए ii. एनएससी/एसएफसीआई	500/- रुपये प्रति क्विंटल - तदेव -	- -	25 -
iv. तिलहन, दलहन और मक्की के प्रमाणित बीज का उत्पादन। (बीज ग्राम योजना)	एसएससी ऑयलफेड इत्यादि के माध्यम से किसानों के खेतों में चुनिंदा गांवों में प्रमाणित बीजों के उत्पादन को संचालित करने के लिए	i. एसडीए ii. एनएससी/एसएफसीआई	500/- रुपये प्रति क्विंटल - तदेव -	75 100	25 -
v. तिलहन, दलहन और मक्की के गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए क्रेश कार्यक्रम।	बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने के लिए किसानों को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करने के लिए	एनएससी/एसएफसीआई	i. गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए सहायता 500/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से जैसे कि बीज ग्राम योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया है।	100	-

			ii. गुणवत्तापूर्ण बीज के वितरण के लिए सहायता बीज की प्रति क्विंटल लागत की 25 प्रतिशत की दर से या 600 रुपये, जो भी कम हो।		
vi. तिलहन, दलहन और मक्की के प्रमाणित बीजों का वितरण।	बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने के लिए राज-सहायता प्राप्त कीमतों पर किसानों को प्रमाणित बीजों की आपूर्ति करने के लिए	i. एसडीए ii. एनएससी/एसएफसीआई	सभी फसलों के लिए प्रमाणित बीजों की लागत का 30 प्रतिशत या 800/- रुपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो। ii. सभी फसलों के लिए वास्तविक रूप से लेबल लगे बीज की लागत का 25 प्रतिशत या 600/- रुपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।	(एनएससी/ एसएफसीआई) 100	25 -
vii. छोटी किटों का वितरण (उपकिस्मों में विविधीकरण)	किसानों को राज्य कृषि विभाग के माध्यम से एनएससी/एसएफसीआई द्वारा नये उन्नत किस्मों/संकर बीजों की छोटी किटों की आपूर्ति के लिए	एनएससी/एसएफसीआई	किसानों के लिए मुफ्त	100	-
viii. अवसंरचना विकास	सिंचाई सुविधाओं के विकास और बीज फार्मों में थ्रेसिंग फर्श तथा तिलहन, दलहन और मक्की के बीज के लिए बीज फार्म और भण्डारण गोदामों का विकास करने के लिए।	एसडीए ii. एनएससी/एसएफसीआई	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी दरों के अनुसार वास्तविक लागत - तदेव -	50 100	50 -

परिशिष्ट-I जारी

घटक	व्यय की मद	कार्यान्वयन एजेंसी	सहायता की पद्धति	व्यय का अंश % में	
				केन्द्रीय	राज्य
2. प्रदर्शन i. ब्लॉक प्रदर्शन	किसानों के खेतों में उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए	राज्य कृषि विभाग	अधिकतम सीमा के साथ साधनों की लागत के 50 प्रतिशत, मूंगफली 4000/- रुपये सोयाबीन 3000/- रुपये राई और सरसों 2000/- रुपये सूरजमुखी 2500/- रुपये तिल, कुसुम और अरंडी 1500/- रुपये अलसी - 2000/- रुपये अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, मोठ, ग्वार, कुल्थी, त्रिपुट 2000/- रुपये मसूर 2200/- रुपये चना और मटर 2500/- रुपये राजमा 3500/- रुपये मक्की 4000/- रुपये	75	25
ii. मूंगफली में पॉलीथीन पलवार प्रौद्योगिकी के संबंध में ब्लॉक प्रदर्शन	मूंगफली में पॉलीथीन छाद प्रौद्योगिकी के संबंध में प्रदर्शन के लिए	राज्य कृषि विभाग	7000/- रुपये अर्थात् (4000 + 3000 रुपये) प्रति हेक्टेयर	75	25
iii. एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम)	किसानों के खेतों में आईपीएम प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए	राज्य कृषि विभाग	□. आईपीएम प्रदर्शन (किसानों के फील्ड स्कूल(एफएफएस) 22680 रुपये प्रति प्रदर्शन)	75	25

			□. पौधे के विकास के विभिन्न चरणों में जैव सघनता निम्नलिखित रूप में: i. चना - त्रिचोदरमा, ट्रेप+लीवर, नीम 1500/- रुपये, लियोर एनपीवी, लियोर, बी.टी 747.50/- रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम सीमा के साथ। ii. अरहर - त्रिचोदरमा, नीम 1500/- रुपये, ट्रैप+लियोर, लियोर एनपीवी, बी.टी लियोर 1140/- रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम सीमा के साथ। iii. सरसों - त्रिचोदरमा, नीम 1500/- रुपये, क्राइसोपेलेरा, नीम 1500/- रुपये 930/- रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम सीमा के साथ। iv. मूंगफली - त्रिचोदरमा - क्राइसोपेलेरा, एनपीवी - एसएल, ट्रैप+ लेयोर,		

			नीम 1500/- रुपये, एनपीवी एसएल, लियोर बी.टी.1627.50/- रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम सीमा के साथ। v. सोयाबीन - त्रिचोदरमा, एनपीवी - एसएल, ट्रैप + लेयोर, नीम 1500/- रुपये, लियोर 428/- रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम सीमा के साथ। vi. सूरजमुखी - त्रिचोदरमा, क्राइसोपेलेरा, एनपीवीबीटी 1230/- रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम सीमा के साथ। vii. मक्की - त्रिचोदरमा, क्राइसोपेलेरा, बीटी 1480/- रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम सीमा के साथ।		

परिशिष्ट-I जारी

घटक	व्यय की मद	कार्यान्वयन एजेंसी	सहायता की पद्धति	व्यय का अंश % में	
				केन्द्रीय	राज्य
2. प्रदर्शन i. (क) फ्रंटलाइन प्रदर्शन	किसानों के खेतों में उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	वास्तविक लागत 5000/- रु. प्रति हे. तक सीमित	100	-
(ख) मूंगफली में पॉलीथीन पलवार प्रौद्योगिकी के संबंध में फ्रंटलाइन प्रदर्शन		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	प्रदर्शान की वास्तविक लागत 8000/- रु. प्रति हे. तक सीमित	100	-
3. **पौध संरक्षण रसायन**	कीट और रोगों के फैलने की स्थिति में राजसहायताप्राप्त कीमतों पर जरूररत आधारित पीपी रसायनो की आपूर्ति के लिए	राज्य कृषि विभाग	रसायन की लागत के 50 प्रतिशत या 500 रुपये प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो।	75	25
4. **पौध संरक्षण उपकरण**	राज-सहायता प्राप्त कीमतों पर किसानों को पौध सरंक्षण उपकरणों की आपूर्ति के लिए	राज्य कृषि विभाग	i. दस्ती प्रचालन के लिए - उपकरण की लागत के 50 प्रतिशत या प्रति उपकरण 800/- रुपये, जो भी कम हो। ii. बिजली से चलाये जाने वाले उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत या 2000/- रुपये प्रति उपकरण, जो भी कम हो।	75	25
5. पतवार नाशक	पतवार समस्याओं वाले क्षेत्रों में राज-सहायता प्राप्त कीमतों पर किसानों को	राज्य कृषि विभाग	रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या 500/- रुपये प्रति	75	25

	पतवार नाशकों की आपूर्ति के लिए		हेक्टेयर, जो भी कम हो।		
6. न्यूक्लीयर पॉलीहेड्रोसिस वायरस (एनपीवी)	चने और अरहर की फसलों में फली के कीड़ो के नियंत्रण के लिए एनपीवी की आपूर्ति हेतु	राज्य कृषि विभाग	लागत के 50 प्रतिशत जो 250/- रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित होगा।	75	25
7. राइजोबियम कल्चर/फॉस्फेट घुलनशील वैक्टीरिया	मूंगफली और सोयाबीन तथा दालों के लिए राइजोबियम कल्चर को किसानों को राज-सहायता प्राप्त दर पर आपूर्ति के लिए और पीएसबी सभी तिलहनों, दालों और मक्की की फसलों के लिए।	राज्य कृषि विभाग	कल्चर की लागत का 50 प्रतिशत या 50/- रुपये प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो।	75	25
8. जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/ डोलोमाइट का वितरण	राज-सहायता प्राप्त कीमतों पर किसानों को जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट (सल्फर के रूप में) की आपूर्ति के लिए	राज्य कृषि विभाग	सामग्री+परिवहन की लागत का 50 प्रतिशत जोकि 500/- रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित होगा, जो भी कम हो। तथापि, महाराष्ट्र के लिए 750/- रुपये प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो।	75	25
9. फवारे सेटों का वितरण	पानी की अधिक दक्षतापूर्ण प्रयोग के लिए राज-सहायता प्राप्त कीमतों पर किसानों को फवारे सेटों की आपूर्ति के लिए	राज्य कृषि विभाग	i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और मझोले तथा महिला किसानों के लिए - फवारे सेट की लागत का 50 प्रतिशत या 15,000/- रुपये प्रति सेट, जो भी कम हो। ii. अन्य वर्ग के किसानों के लिए फवारे सेट की लागत का 33	75	25

			प्रतिशत या 10,000/- रुपये प्रति सेट, जो भी कम हो।		
10. किसानों का प्रशिक्षण	उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी और फसल कटने के पश्चात् प्रबंधन में किसानों का प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए।	राज्य कृषि विभाग	75 किसानों के बैच के लिए 15,000/- रुपये प्रति प्रशिक्षण।	75	25
11. स्टॉफ और फुटकर खर्चे	राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए स्वीकृति विशेष स्टाफ के लिए	राज्य कृषि विभाग	आठवीं योजना के अंतर्गत टीएमओपी स्कीम के तहत स्वीकृत संख्या के अनुसार नौवीं योजना और दसवीं योजना के दौरान लागू रहना जारी रहेगा।	75	25
12. आइसोपोम का मूल्यांकन	योजना/घटकों के कार्यान्वयन का सहवर्ती मूल्यांकन	एएफसी या भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य एजेंसी	वास्तविक लागत के आधार पर	100	-
13. खेतों में स्रोत से पानी ले जाने के लिए पाइप	पानी की रास्ते में क्षति को रोकने के लिए खेत में स्रोत से पानी ले जाने के लिए।	राज्य कृषि विभाग	210 मीटर लम्बे पाइपों के लिए (75 मिमी व्यास के 6 मीटर प्रत्येक के 35 नगों हेतु आईएस 12786-1989 या आईएस 14151-1 (1994) एचडीपीई पाइपों) के लिए सहायता की दर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और मझौले किसानों के लिए 15,000/- रुपये और अन्य वर्ग के किसानों के लिए 10,000/- रुपये	75	25

14. अधिकारियों का प्रशिक्षण	राज्य कृषि विभाग और टीएमओपी मुख्यालय तथा इसके निदेशालयों के अधिकारियों/विस्तार कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण ताकि उनका कृषि क्षेत्र में हो रहे नये विकास के संबंध में ज्ञान अद्यतन होता रहे।	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य कृषि विभाग	30 अधिकारियों के दो दिन के प्रशिक्षण हेतु 16,000/- रुपये - तदेव -	100 75	- 25
15. अधिकारियों के विदेशी प्रशिक्षण के लिए	विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अध्ययन के लिए तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेशों में भ्रमण हेतु। ताकि वे स्वदेशी तकनीकी में सुधार कर सके और उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर सके।		व्यय की वास्तविक लागत। पूरी योजना अवधि के लिए 2.50 करोड़ रुपये के एकमुश्त प्रावधान की जरूरत है।	100	-
16. प्रचार	कम से कम समय में नवीनतम प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए।		2 लाख रुपये प्रति राज्य की एकमुश्त राशि	100	-
17. अन्य गतिविधियों में निजी क्षेत्र की सहभागिता	गतिविधियों में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए जैसे क. बीज उत्पादन ख. साधनों की आपूर्ति ग. विस्तार समर्थन घ. फ्रंट लाइन और ब्लॉक प्रदर्शन		प्रत्येक घटक के लिए 15 प्रतिशत की सीमा	75	25

परिशिष्ट - II

पॉम आयल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता की पद्धति

घटक	सहायता की पद्धति
i. पौधारोपण सामग्री	किसानों की पूरी भू-जोत के लिए 7500/- रुपये प्रति हेक्टेयर की सीमा के साथ लागत का 75 प्रतिशत
ii. खेती की लागत	15 हेक्टेयर तक 15,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सीमा के साथ बीजोरोपण अवधि के दौरान लागत का 50 प्रतिशत
iii. ड्रिप सिंचाई	छोटे, मझौले, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति और महिला किसानों को लागत का 50 प्रतिशत, जोकि 7400/- रुपये 9300/- रुपये की सीमा के अंतर्गत होगा और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए 35 प्रतिशत जोकि 5200/- रुपये 6500/- रुपये की सीमा के अंतर्गत होगा, सहायता प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए प्रदान की जायेगी।
iv. प्रशिक्षण, विस्तार और प्रचार, स्थापना और स्टाफ तथा अन्य विद्यमान योजनायें	प्रशिक्षण, विस्तार और प्रचार, स्थान और स्टाफ तथा बीजोद्यान, पत्ता विश्लेषण प्रयोगशाला, स्टाफ/अधिकारी के प्रशिक्षण तथा जीनोटाइप के परीक्षण इत्यादि के लिए आवश्यकतानुसार जरूरत के आधार पर समर्थन प्रदान किया जायेगा।
v. प्रदर्शन	उन ब्लॉकों में जहां 500 हेक्टेयर या उससे ऊपर की जमीन का पॉम ऑयल का पोधारोपण किसानों के खेतों में शुरू किया जा रहा है, वहां प्रत्येक 1 हेक्टेयर के 20 प्रदर्शन शुरू किए जायेंगे जिसमें खेती और प्रबंधन परिपाटी, पौध संरक्षण उपाय और पॉम ऑयल की पैदावार क्षमता को किसानों को प्रदर्शित किया जायेगा। पॉम ऑयल प्रदर्शन के अंतर्गत पौधा रोपण सामग्री के लिए अधिकतम 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर और 4-5 वर्षों के बीजारोपण हुए, के दौरान खेती के लिए अधिकतम 30950/- रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जायेगी। पौधा रोपण सामग्री, खेती और अन्य व्ययों संबंधी शेष लागत, यदि कोई हो, को या तो किसान द्वारा या राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
vi. डीजल पम्प सेट	10,000/- रुपये प्रति सेट की अधिकतम सीमा के साथ लागत का 50 प्रतिशत।1
VII. बंजर भूमि का विकास	किसानों द्वारा स्वामित्वधीन बंजर भूमि या सरकारी भूमि/राज्य और केन्द्रीय सरकार या सहकारी संस्थाओं के निगमों द्वारा स्वामित्वधीन बंजर भूमि के विकास के लिए आवंटित निधि का 15 प्रतिशत। इस 15 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत निधियां अवसंरचना, बंजरभूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं हेतु प्रदान की जायेंगी।

परिशिष्ट - III

आईपीएम प्रदर्शनों के लिए सहायता पद्धति/मानक
कृषक फील्ड स्कूल (आईपीएम प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण)

क्रम सं.	मद	राशि रुपयों में
क.	आईपीएम किट (नेट रहित) 30 किसानों के लिए 150/- रुपये की दर से और 5 एईओ/गैर सरकारी संगठन/मुख्य किसान इत्यादि) (35X150)	5,250/-
ख.	39 भागीदारों के लिए कार्य करने हेतु चाय/नाश्ता (5 एईओ, 30 किसान, 3 प्रशिक्षक) 15/- रुपये प्रति भागीदार प्रतिदिन की दर से 14 दिनों के लिए (38X15X14)	7,980/-
ग.	आकस्मिक खर्चे पीओएल इत्यादि	2,500/-
घ.	भागीदारों को आईपीएम साहित्यिक का वितरण प्रति व्यक्ति 30/- रुपये की दर से (35X30)	1,050/-
ड.	कीटों/रोगों में ईटीएल की क्रासिंग पर फिरोमोन, बीज उपचार, आपात छिड़काव इत्यादि और कोई अन्य सामग्री, उपकरण की लागत	2,000/-
च.	एक प्रदर्शन के लिए 5 स्वीप नेट (6 किसानों के समूह और 1 एईओ के लिए 1 स्वीप नेट प्रति स्वीपिंग नेट 80/- रुपये की दर से)	400/-
छ.	आईपीएम फील्ड दिवस आयोजित करना	
	क. 35 भागीदारों/और 62 साथी किसानों के लिए कार्य करने हेतु चाय/नाश्ता 15/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से	1,500/-
	ख. आकस्मिक खर्चों, बैठने की व्यवस्था और पीओएल इत्यादि के लिए	2,000/-
	एक एफएफएस 30 किसानों+5 प्रशिक्षुओं के आईपीएम प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण पर कुल व्यय	**22,680/- रुपये**